

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2019—ज्येष्ठ 24, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मई 2019

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उहें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ 1-37-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 से 22 मई 2020 तक, 361 दिवस संतान. पालन अवकाश (CCL) तथा दिनांक 25-26 मई 2019 व 23-24 मई 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ California, Berkeley, USA की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

5477

भोपाल, दिनांक 29 मई 2019

क्र. एफ-1(ए)212-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल को दिनांक 01, 03, 7 जून 2019 के तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 04, 06 जून 2019 का दो दिवस ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 02, 05, 08 व 9 जून 2019 के राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में अकेले गृह नगर सहारनपुर, उ. प्र. की अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बर्नी रहतीं।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2019

क्र. एफ 1(ए)19-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, सेनानी 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 14 जून 2019 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत लेह-लद्दाख (जम्मू-कश्मीर) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल	—	स्वयं
2.	श्रीमती अंजू शुक्ल	—	पत्नी
3.	श्री सहर्ष शुक्ल	—	पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे का चालू कार्य श्री योगेश्वर शर्मा, रापुसे, उप सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सेनानी, 2री वाहिनी, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

क्र. एफ 1-43-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 3 से 13 जून 2019 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 02 जून 2019 के पूर्ववर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित सिंगापुर, मलेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की कार्योत्तर अनुभाति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
- स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)66-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष दिनांक 6 से 20 जून 2019 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी (असम) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- श्री रामाश्रय चौबे — स्वयं
- श्रीमती गीता चौबे — पत्नी
- सुश्री पूजा चौबे — पुत्री
- श्री अभिषेक चौबे — पुत्र

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, का चालू कार्य पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)-94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, रेन्ज जबलपुर को दिनांक 10 से 29 जून 2019 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 तथा 30 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज (ग्रामीण) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)123-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, सेनानी 24वीं वाहिनी, विसबल, जावरा, जिला-रतलाम को दिनांक 3 से 14 जून 2019 तक, कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2 जून व 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम

विस्तार वर्ष में उत्तर पूर्व राज्य (सिक्किम) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के एवं साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. श्री महेश चन्द्र जैन | — स्वयं |
| 2. श्रीमती उषा जैन | — पत्नी |
| 3. श्री निहित जैन | — पुत्र |
| 4. श्री सहित जैन | — पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, सेनानी 24वीं वाहिनी, विसबल, जावरा, जिला-रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ 1-45-2019-ब-2-दो..—राज्य शासन, एतद्वारा श्री वरुण कपूर, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन, इन्दौर को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 08-09 जून 2019 के पूर्ववर्ती तथा दिनांक 15-16 जून 2019 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भूटान की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वरुण कपूर, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक इन्दौर जोन, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री वरुण कपूर, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वरुण कपूर, भापुसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ-3-22-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3543-33-उपां-टी सी-उज्जैन-2018, दिनांक 23 जून 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पंवासा, तहसील- उज्जैन, जिला-उज्जैन.	1 2/1/1/मिन-2 2/1/2 2/1/3	2.289 0.970 2.753 1.254	कृषि एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग.	आवासीय एवं प्रस्तावित बायपास मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु).

योग . . 7.266

- स्थल पर विकास एवं निर्माण के पूर्व नियमानुसार नगरपालिक निगम, उज्जैन के पक्ष में आवंटन किया जाना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

सूचना

क्र. एफ-3-23-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7344-टीसी-46-उपां-नग्रानि-2018, कटनी, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मौजा, खिरहनी	1548/4, 1560/1-5	121.986 में से 10.22 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना).

योग . . 10.22

- उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

सूचना

क्र. एफ-3-24-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 7375-उपां-टी सी-गुना, दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित गुना विकास योजना 2031 में निमानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण और एवं शर्तें निमानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जगनपुर	33 मिन	0.54	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.61	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		66 मिन	0.52	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		33 मिन	0.63	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)
		45 मिन	0.58	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)
		66 मिन	0.46	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर चौड़ा)
		33 मिन	0.044	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.53	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		44 मिन	0.148	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.42	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)
		47 मिन	0.29	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर चौड़ा)
		45 मिन	0.054	प्रस्तावित आमोद प्रमोद के अन्तर्गत उद्यान.	प्रस्तावित आवासीय

योग . . 4.826

उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2017

क्र. एफ-3-85-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4961-5929-बत्तीस-77, भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 1977 के द्वारा गठित सबलगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाओं को संशोधित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है। पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई हैं।

सबलगढ़ पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में—ग्राम देवपुर, सुन्हेरा, शिवलालपुरा तथा रानीपुरा की उत्तरी सीमा तक
पश्चिम में—ग्राम देवपुर, पूछरी, काजौना तथा ग्राम तिदौली की पश्चिमी सीमा तक
दक्षिण में—ग्राम तिदौली, सबलगढ़ तथा ग्राम कुतधान की दक्षिणी सीमा तक
पूर्व में—ग्राम कुतधान, देवपुर माफी, गुदाया खुर्द तथा ग्राम रानीपुर की पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग

मंत्रालय, वर्ललभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

क्र. बी-15-28-2019-चौदह-2.—केन्द्र शासन की “प्राईज सपोर्ट स्कीम” के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी की गई है और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को दिये जाने का विनिश्चय राज्य शासन के द्वारा किया गया है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा “प्राईज सपोर्ट स्कीम” के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स चना, मसूर एवं सरसों की प्रदेश के किसानों से क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है।

मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट उपार्जन प्रारंभ होने के दिनांक 25 मार्च 2019 से उपार्जन की अंतिम तिथि तक की अवधि के लिए ही मान्य होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 6 जून 2019

क्र. बी-15-28-2019-चौदह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधित अधिसूचना, दिनांक 6 जून 2019 की अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव।

Bhopal, the 6th June 2019

No. B-15-28-2019-XIV-2.—The State Government have resolved to maximize the benefit to the farmers of the state, under the Government of India's “Price Support Scheme”, notified agriculture produce Chana, Masur and Sarsa is being procured by the agencies appointed by Government of India/State Government.

In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt the agencies appointed by GOI/State Government for procurement of notified agriculture produce Chana, Masur and Sarsa under the “Price Support Scheme” from the farmers state, from payment of Market Fee.

The above exemption from payment of Market Fee shall be effective from the date of beginning of procurement that ie from 25th March 2019 till the procurement last date.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRA NATH SHARMA, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्र. 5517-सालि.-2019.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) 10-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से—

(एक) नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

(दो) सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया है	(1)	ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम चौकी कल्याणपुर के ग्राम-16	(2)	पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है	(3)
जिला नरसिंहपुर, थाना डोंगरगांव की नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर को स्वीकृत किया गया है				थाना डोंगरगांव की नवीन पुलिस चौकी कल्याणपुर को स्वीकृत की गई है।	

No. F-2 (K)08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F-2(K)-19-2012-B-3-2 Bhopal, dated the 8th August 2013 in partial Modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, here by with effect from date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette”:—

- (1) Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) thereof and
- (2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Chouki mentioned in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of the Police Station (with Tehsil and the Distt.) from which excluded (1)]	Name of the Village/local Areas Name of the/Ward No. Settlement No./local Areas	Name of Police Station (with Tehsil and the District) from which included (3)
(1) Police Station Dongargaon-District Narsinghpur	(2) Chouki Kalyanpur Village-16	(3) Police Station Dongargaon Senction New Police Chouki Kalyanpur

क्र. 5519-सांलि.-2019.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क)-19-2012-बी-3-दो, दिनांक 8 अगस्त 2013 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से—

(एक) नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

(दो) सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस चौकी में सम्मिलित करती है:—

सारणी

पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला संहित जिससे अपवर्जित किया।	ग्रामों एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम	पुलिस थाने का नाम/ तहसील जिला संहित जिसमें से सम्मिलित किया गया है
(1)	(2)	(3)
जिला नरसिंहपुर, थाना साँईखेड़ा की नवीन पुलिस चौकी बम्होरी कला को स्वीकृत किया गया है	चौकी बम्होरी कलाके ग्राम-20	थाना साँईखेड़ा की नवीन पुलिस चौकी बम्होरी कला स्वीकृत की गई है।

No. F-2-(K)08-B-3-Two.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department Order No. F-2(K)-19-2012-B-3-2 Bhopal, dated the 8th August 2013 in partial Modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below, the State Government, here by with effect from date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette”:—

- (1) Excludes from Police Station mentioned in the column (1) of the Table below the local areas specified in the column (2) there of and
- (2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Chouki mentioned in column (3) of the said Table : —

TABLE

Name of the Police Station [(with Tehsil and the Distt.) from which excluded (1)]	Name of Village/local Areas Name of the/Ward No. Settlement No./local Areas	Name of Police Station [(with Tehsil and the District) from which included (3)]
(1)	(2)	(3)
Police Station Sainkheda, District Narsinghpur	Chouki Bamhorikala Village-20	Police Station Sainkheda, Senction New Police Chouki Bamhorikala

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प. क्र. 2893-जि.भू.अ.-2019

सिवनी, दिनांक 28 मई 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1— भूमि का विवरण:-

जिला	तहसील / रा.नि.म.	ग्राम / प. ह.न. / ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रक्कड़ (ह.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	बरघाट	निवारी बं.नं. 309 प.ह.नं. 65	3.04 हे.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. 1 सिवनी जिला सिवनी	कांचना मंडी जलाशय के अंतर्गत अतिरिक्त ढूब क्षेत्र

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रब्रीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रा.प्र. क्रमांक-02-अ-82-2018-2019-भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 मई 2019

मोप्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्य की नीति”(Consent Land Purchase Policy) के तहत साँईखेड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्य की जाने हेतु मोप्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्य की जाना प्रस्तावित है, उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्य की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्य की जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्य की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—साँईखेड़ा, प0ह0न0-54 / 21, ब0न0-374, रा0नी0म0-लोधीखेड़ा	रंजना विधवा हेमराज, शुभम, स्नेहा पिता हेमराज महार निवासी ग्राम भूमि स्वामी—साँईखेड़ा	309/2	0.646	साँईखेड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.646 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-03-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्य नीति”(Consent Land Purchase Policy) के तहत गोड़ीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्य किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोड़ीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्य की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्य किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्य की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—गोड़ीवाढोना , प0ह0न0—55, ब0न0—101, राफनीम0—लोधीखेड़ा,	1. छत्रपति पिता कुंडलिक कुनबी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी—गोड़ीवाढोना 2. मीराबाई पति मुरलीधर महारनिवासी ग्राम भूमि स्वामी—गोड़ीवाढोना 3. मोरेश्वर पिता गणनत कुनबी, निवासी ग्राम भूमि स्वामी—गोड़ीवाढोना	364/5 330/3 289/2	0.273 0.035 0.637	गोड़ीवाढोना जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
			4. गोपाल, नरेन्द्र नारोबा० पिता रंगराव, यमुना बाई विधवा रंगराव, निवासी ग्राम भूमि स्वामी—गोड़ीवाढोना	334/3	0.205	
		कुल योग		4	01.150 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-09-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति”(Consent Land Purchase Policy) के तहत गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम—गुरैया, प0ह0न0-35 ब0न0-65, रा0नि0म0— सिंगोड़ी	भोजे, मोजे पिता सखा अहिर निवासी ग्राम भूमि स्वामी—गुरैया	72/2	0.200	गुरैया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.200 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बन्ध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा.प्र. क्रमांक-22-अ-82-2017-2018-भू-अर्जन

मोप्र० शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2/2014/सात/शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि कर्य नीति”(Consent Land Purchase Policy) के तहत घोघरा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कर्य किये जाने हेतु मोप्र० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कर्य किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दशायि गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप ‘क’ में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप ‘ख’ में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ ग्राम	कर्य की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	कर्य किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि कर्य की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-घोघरा, प0ह0न0-55, ब0न0-146, रा0नि0म0- छिन्दवाड़ा-1	अरविंद पिता भैयालाल गौली निवासी ग्राम भूमि स्वामी-घोघरा	57/1	0.340	घोघरा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।
		कुल योग		1	0.340 हेक्टेयर	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-1357-भू-अर्जन

यूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शावितायों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 / 03 / 2016-17 / ल०सि० / 31 / 997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त, 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पांदुर्णा	ग्राम-सेन्दुरजना प0ह0न-21 ब.न.-405 रा.नि.म.-नादनवाडी	रकबा-03.523 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांदुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांदुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग पांदुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक 3457 ए-भू-अर्जन-2019

वृूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शावैतियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/101/2016/एम०पी०एस०/31/1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राकलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाइ परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-मुआर प०ह०न-०२ ब.न.-२३८ रा.नि.म.-चौरई	रकबा-०.२०० हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियाँ।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा	पैच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से झूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पैच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पैच व्यपवर्तन भिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक-02 सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3458 ए-भू-अर्जन-2019

चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन

क.	जिला	छिन्दवाड़ा
ख.	तहसील	चौंद
ग.	नगर / ग्राम	ग्राम-सीदप, प0ह0न-07, ब.न.-283 रा.नि.म.-चौंद,
घ.	अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	कुल रकबा-08.853 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	74/5, 74/6, 75/1, 77/16	0.072
2	74/9, 74/10, 75/2, 77/31	0.056
3	80/1	0.196
4	82	0.014
5	83/1, 84	0.040
6	83/2, 87/1	0.112
7	83/3, 87/2	0.076
8	86/1	0.144
9	86/2	0.160
10	60/7	0.344
11	57/2, 60/4	0.090

12	57/4	0.300
13	249, 250	0.182
14	217	0.230
15	218/1, 219/1	0.008
16	171/1, 171/2	0.080
17	218/3, 219/3	0.040
18	218/2, 219/2	0.039
19	218/4, 219/4	0.024
20	218/6, 219/6	0.144
21	202/11, 202/12	0.040
22	192/2	0.020
23	189/2, 190/2	0.056
24	189/3, 190/3	0.032
25	189/4, 190/4	0.076
26	189/5, 190/5	0.164
27	189/6, 190/6	0.084
28	189/7, 190/7	0.024
29	187/2	0.180
30	187/1	0.080
31	181	0.028
32	174/1	0.180
33	171/6, 171/7	0.108
34	171/3	0.092
35	171/4/2	0.098
36	163/1	0.015
37	163/2	0.015
38	163/3	0.015
39	163/4	0.017
40	161/2, 162/3	0.020

41	161/1, 162/1	0.016
42	378/3, 380/3, 381	0.085
43	155/1, 382/1	0.040
44	155/2, 382/2	0.060
45	143/3	0.086
46	130/6, 130/19	0.024
47	130/4, 130/5, 131/1	0.136
48	257/4, 267/4	0.070
49	259/5, 260/5, 261/5, 262/5, 263/5, 264/5, 266/5, 268/5	0.095
50	268/5, 269/5, 270/5, 272/7, 272/8	0.150
51	277/5, 278/5	0.060
52	277/4, 278/5	0.052
53	277/2, 278/3	0.028
54	278/1	0.132
55	304/2, 305/2, 306/2	0.064
56	304/6, 305/6, 306/6	0.008
57	308/3	0.182
58	308/5	0.105
59	309	0.048
60	310/2	0.014
61	311/3	0.086
62	311/1	0.033
63	313/2	0.077
64	315/1	0.120
65	314/17	0.230
66	323, 336	0.154
67	324/2	0.260
68	326/1	0.072
69	328/1	0.060

70	326/2	0.096
71	328/2	0.060
72	397/1, 398/1, 401/1, 402/1, 405/1	0.080
73	397/2, 398/3, 401/2, 402/2, 405/2	0.080
74	426	0.090
75	428/2	0.120
76	449/9, 507/9, 508/2	0.032
77	424/1	0.024
78	430/2	0.062
79	433/2	0.134
80	435, 436	0.160
81	447/2	0.104
82	443/1	0.144
83	438/2	0.024
84	438/1	0.084
85	445/1, 447/1	0.136
86	442/2, 446/1	0.068
87	449/8	0.097
88	449/10	0.052
89	449/1	0.060
90	456/1	0.032
91	456/3	0.060
92	507/5	0.036
93	468/3	0.104
94	467/2, 466/3	0.052
95	467/3 ख	0.076
96	467/1	0.060
97	453/1, 454/1	0.028
98	456/2	0.052

99	463/1	0.040
100	463/2	0.048
101	461/2, 461/3,	0.088
102	642/4	0.100
103	461/4, 642/1	0.068
104	642/6, 644/1	0.060
2	योग :-	कुल रकमा— 08.853 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अन्तर्गत हरदुआ वितरक नहर से निकलने वाली 4 एल, 5 एल, 6 एल माइनर एवं सब माइनर के निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं M0P0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevneue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक-2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

क्रमांक-3463-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/NW-I/CR/DPR/I/tarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अन्तर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम— गढ़खापा प०५०८-५३, ब.न.—११, रा.नि.म.— पाण्डुर्णा, तहसील— पाण्डुर्णा	रक्का 0.026 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील—पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अन्तर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं M0PRO शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शास्त्रा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (M0PRO) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3464-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शावित्रियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-ICR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांकी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभंग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-खेडीकलां प0ह0न-20, ब.न.-80, रा.नि.मं-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा	रक्का 0.471 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं [mprevuevenue.nic.in](http://www.mprevuevenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (भ0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अधियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3465-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शावितयों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-II/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांकी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-खेड़ी धज्जेवार प०होन-५०, ब.न.-८२, रा.नि.मं.-पाण्डुर्णा, तहसील-पाण्डुर्णा	रक्का 0.395 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अधिकारी (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3466-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2. चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/Itarsi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेल्वे लाईन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांकी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिंदवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम— आजनगांव प०ह०न-५०, ब.न.-०८, रा.नि.म.- पाण्डुर्णा, तहसील- पाण्डुर्णा	रक्का 0.128 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिंदवाड़ा	भारत सरकार रेल्वे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत ¹ इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितधृ कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन गजरव विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली सल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविनांगीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिंदवाड़ा (म०प्र०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अधियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितधृ कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्रमांक-3467-भू-अर्जन-2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

2 चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 2015/W-I/CR/DPR/I/taisi-Nagpur 3 rd Line/New Delhi, dated 02-09-2016 के अन्तर्गत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा तीसरी रेलवे लाइन जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांकी योजना के रूप में कियाच्छित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम— अम्बाडाखुर्द प0ह0न-60, ब.न.—02, रा.नि.मं.— पाण्डुर्णा, तहसील-- पाण्डुर्णा	रकबा 0.015 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	भू-अर्जन अधिकारी तहसील—पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा	भारत सरकार रेलवे मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत रेलवे परियोजना के अंतर्गत इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यकारी इंजीनियर (निर्माण) मध्य रेल नागपूर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 44-अ-82-17-18-ब्राह्मणवाड़ा-5176

बैतूल, दिनांक 30 मई 2019

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का क्षेत्रफल(हेक्टेएर)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (मोप्र०)	आमला	ब्राह्मणवाड़ा	1.100	ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेर में से	अर्जन की भूमि का रकबा हेक्टेर में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	322/1	0.141	0.056	आल्हा, लखन वल्द देवजी, सरस्वती, अम्बा, सुमित्रा, पिता देवाजी सा.देह भूमि स्वामी
2	322/2	0.709	0.056	नान्ही पिता बाबुलाल जाति पवार सा. चन्दोराखुर्द
3	323/1	0.482	0.046	मनीष वल्द नन्दलाल कायस्थ सा.देह तिरपती नगर महाराष्ट्र भूमि स्वामी
4	323/2	0.481	0.046	धुडिया उर्फ साहेबलाल वल्द खुशयाल जाति पवार सा.देह भूमि स्वामी
5	213	1.643	0.325	हेमराज वल्द रावजी, सुन्दर, शांता, नन्हिया, दुर्गा पिता रावजी पुर्णा पिता रावजी पता सा.देह भूमि स्वामी
6	214	1.327	0.116	विजय, विनोद वल्द अमीलाल, अनिता ममता पिता अमीलाल जाति गोड़ सा.देह
7	209/1	1.689	0.118	भीमराव वल्द श्यामराव जाति पवार सा.देह भूमि स्वामी
8	209/2	1.690	0.119	अर्जुन पिता श्यामराव जाति पवार सा.देह
9	208/1	1.160	0.109	अशोक वल्द आशाराम जाति भोयर सा.देह
10	208/2	1.160	0.109	मधु वल्द आशाराम जाति भोयर सा.देह
योग		10.482	1.100	

(2) चूंकि ब्राह्मणवाड़ा लघु जलाशय, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प्र. क्र. 01-अ-82-18-19-बोरगांव-5187

बैतूल, दिनांक 31 मई 2019

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित मकान के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित आवादी के मकानों की संख्या	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	बोरगांव	19	पारसङ्घो मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के द्वूष क्षेत्र के प्रभावित मकानों का अर्जन

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

आठक्र0	खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	धारक का नाम
1	2	3	5
1	275	2	झापू वल्द हरिराम, कृष्णा, श्रवण, खुशरंग, कन्हैया वल्द झापू सा0देह
2	275	1	रतन वल्द अन्त्या सा0देह
3	275	1	जीवनलाल भगवन्तराव वल्द गेंदलाल सा0देह
4	275	1	मोहन वल्द तेजी सा0देह
5	275	1	जगदीश, जीवन, गोलू वल्द टंटु सा0देह
6	275	1	भोपत वल्द भूरा, पुष्पा जौजे वासुदेव सा0देह
7	275	1	माधो वल्द आत्माराम सा0देह
8	275	1	रुपलाल वल्द गोपीचन्द सा0देह
9	275	1	गोपीचन्द वल्द लालजी सा0देह
10	275	1	संभा पिता चिन्ध्या सा0देह
11	275	1	धनराज वल्द अन्त्या सा0देह
12	275	1	झनकलाल वल्द मोतीराम सा0देह
13	275	1	नामदेव वल्द गोंदू राजेश, उमेश वल्द नामदेव, सा0देह
14	275	1	द्वारका बेवा कचरा सा0देह

15	275	1	गुलाबराव वल्द गोपीचन्द, कमलेश, देवानन्द वल्द गुलाबराव, सीमा पति देवानन्द सा.देह
16	275	1	किसन वल्द गणपति, गेंदु वल्द गणपति, जगदीश वल्द गणपति सा०देह
17	275	1	उदयराम, गजानन्द, सुरेश वल्द मोदी सा०देह
18	275	1	बसंत, धनराज वल्द मोहनलाल सा०देह
योग		19	

चूंकि पारसङ्गोह मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के आबादी भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन प्रस्तावित है, उनके पुनर्वास सम्बंधी पृथक से कार्यवाही की गई।

- 2— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिक मुलताई बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 4— समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 14-अ-82-17-18-4159

सागर, दिनांक 30 मई 2019
मौजा शिकारपुर, पट.ह.नं. 27 तहसील राहतगढ़

भू-अर्जन प्रकरण 14अ/82/17-18 में बीना परियोजनांतर्गत चक्रपुर बांध निर्माण हेतु मौजा शिकारपुर पट.ह.नं.-27 तहसील राहतगढ़ जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 22/11/2017 को प्रकाशित की गई है तथा धारा 11 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 21/11/2018 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में विधानसभा निर्वाचन 2018 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रकरण में धारा 19 के तहत घोषणा का प्रकाशन नहीं किया जा सका है। अतः अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 14-अ-82-17-18-4160

सागर, दिनांक 30 मई 2019

**मौजा शिकारपुर पटवारी हल्का नं.27 तहसील राहतगढ़
(देखिये धारा 19 एवं 21)**

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना चक्रपुर बांध

(2) भूमि का विवरण :-

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | शिकारपुर |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 27 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 80.280 हेक्टे. |

:: अनुसूची -01::

संक्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)		भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
					सिवित	असिवित	
1	कंचन, मनोज, विनोद पिता ज्ञानी, सविता पुत्री ज्ञानी राधा पुत्री गोरेलाल मुन्नी वेवा गोरेलाल प्रभु, हुक्म पिता जमना आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई हरिबाई पुत्री शंकर भगवानसींग पिता रामलाल, फुलाबाई वेवा रामलाल तिज्जा पुत्री नन्हे, मनका पिता छुट्टी जगन्नाथ पिता गुवन्दी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11	0.350	0.00	0.350	
		भूमि स्वामी	20/1	2.330	0.00	2.330	
2	आशाराम वल्द शंकर कुसुमबाई भूरीबाई पुत्री शंकर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	3.710	0.00	3.710	बबूल 3
3	कमलसींग वल्द भगोनी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20/2	1.200	0.00	1.200	
4	वीरसींग ओकार अशोक रामसेवक रामबाबू यकील मुनीम वल्द शोभाराम वेटीबाई वेवा शोभाराम अरुणाबाई गंगाबाई पुत्री दमरू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	0.320	0.00	0.320	बांसप्ररा 1
		भूमि स्वामी	27	1.500	0.00	1.500	

5	अरुणबाई जोजे भिट्टलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	26	0.730	0.00	0.730	
6	प्रकश वल्द देवी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/1	0.890	0.00	0.890	
		भूमि स्वामी	28/2	1.800	0.00	1.800	
		भूमि स्वामी	30	0.100	0.00	0.100	
		भूमि स्वामी	35/1	3.420	0.00	3.420	सागोन 1 पलाश 1
7	दशरथ वल्द नंदराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	28/3	0.600	0.00	0.600	
8	बैजन्ती पति सरमन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/1	0.600	0.00	0.600	आम 1
9	गौराबाई पल्लि सुन्दरलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	1.840	0.00	1.840	आम 1
10	राजकुमार बिनोद सुरेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद गुडिया सोनाबाई पुत्री इश्वरीप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/3	1.880	0.00	1.880	आम 5
11	हिम्मतसींग वल्द जगन्नाथ पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/4	0.400	0.00	0.400	बैरी 2 जामुन 1 पीपल 1 गुरार 1 सागोन 4 कोहा 1 खैर 1 पलाश 1
		भूमि स्वामी	33/5	0.800	0.00	0.800	
12	रामश्री पति जगन्नाथ पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/6	0.840	0.00	0.840	
13	कमलसींग पिता धासीराम प्यारी बहु बेवा कनई लीलाकिशन राजकुमारी पिता बैजनाथ श्यामबाई बेवा बैजनाथ सुवेश किशोरी, कौशल, अजीत, रूपबती, चंदबती, गिरजा, राजबती पिता संदेरसींग जनकरानी बेवा संदेरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	3.080	0.00	3.080	बैरी 2 आम 1 पलाश 2
		भूमि स्वामी	38	0.820	0.00	0.320	जामुन 2 खजूर 1 बबूल 2 नीम 1 सागोन 2
14	तेजसींग सुन्दर छोटेलाल पिता ग्याप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/2	2.020	0.00	2.020	आम 2
15	सरमन वल्द फूलसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	35/3	1.060	0.00	1.060	सागोन 1 कोहा 1 ऊमर 1
16	रामस्वरूप मुरलीधर महेश चैनसींग पिता लक्ष्मन किशन वल्द मुरली परषोत्तम वल्द रामस्वरूप पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	36	4.940	0.00	4.940	आम 2 सागोन 1
		भूमि स्वामी	40	1.070	0.00	0.050	
		भूमि स्वामी	41	0.170	0.00	0.070	पलाश 1
17	श्रीमहावीर जी स्वामी बाके मौजा देह प्रबंध कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52	0.080	0.00	0.080	अनार 1 केला 1
18	कालूराम पिता तुलसीराम सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53/1	1.120	0.00	1.120	आम 1 बैरी 2 अमरुल 5 बबूल 1 खैर 1

19	चतुरसींग वल्द तुलसीराम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	53 / 2	1.120	0.00	1.120	अमरुद 18 महुआ 3 आम 10 बैरी 11 आवला 2 मुनगा 1 कैथ 2 नीबू 3 जामुन 1 कठहल 1 बबूल 3 पलाश 3 सागोन 1 सूलबबूल 2 गुरार 1 बेल 3
20	कम्मोद पिता अजुद्धी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 / 1	0.040	0.00	0.040	सतकटा 1
		भूमि स्वामी	63 / 1	1.390	0.00	0.790	बैरी 2
21	संदेर पिता अजुद्धी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 / 2	0.030	0.00	0.030	
22	छोटेलाल पिता कुदउ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 / 3	0.010	0.00	0.010	
		भूमि स्वामी	63 / 3	0.690	0.00	0.690	बबूल 1
23	मकुन्दी धरम, निरमें शिवराज पिता दुर्गाप्रसाद मीरा सरोज पुत्री दुर्गाप्रसाद गल्नीवाई वेवा दुर्गाप्रसाद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 / 4	0.050	0.00	0.050	बहेरा 1
		भूमि स्वामी	63 / 4	0.690	0.00	0.690	बैरी 4 आम 3 नीबू 1 केला 1 नीम 1 बांसप्ररा 1
24	पूरन अमरसींग पिता जयराम कमला पुत्री जयराम सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 / 5	0.010	0.00	0.010	
25	गयाप्रसाद रामरतन पिता खुमान सुशीला वेवा खुमान सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55 / 6	0.010	0.00	0.010	
		भूमि स्वामी	63 / 5	0.690	0.00	0.690	बैरी 2 बांसप्ररा 1
26	प्रभू वल्द रतनसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56 / 1	0.400	0.00	0.050	
27	प्रेमबाई जोजे चतुरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56 / 2	0.400	0.00	0.050	
28	हरिनारायण वल्द कम्मोद गोकल वल्द संदेरसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63 / 2	0.730	0.00	0.730	बैरी 11 जामुन 1 आम 1 आवला 1 सूलबबूल 3 गुरार 1
29	जानकी, हरनाम पिता भावसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	1.900	0.00	1.900	बैरी 4
30	नारायण लालसींग बलराम पिता देवचंद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.610	0.00	0.610	बैरी 11
31	नेतराम लक्ष्मीप्रसाद विष्णुप्रसाद पिता शिवप्रसाद मु. धनकुवर वेवा शिवप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.590	0.00	0.590	बैरी 1 सूलबबूल 1
32	करन रघुवीर पिता हरगोविन्द रम्बो पुत्री हरमगोविन्द सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.450	0.00	0.450	आम 1 बैरी 4
33	बलराम वल्द त्रिलोकी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70 / 1	0.300	0.00	0.300	
		भूमि स्वामी	72	0.190	0.00	0.190	

34	लखन वल्द रामप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.000	0.00	1.000	
35	बाबूलाल वल्द बिहारी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/3	0.520	0.00	0.520	
36	जगदीश बबूल राकेश पिता शेरसींग कपूरीबाई बेवा शेरसींग सुमंत्रा ममता पुत्री शेरसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/4	0.500	0.00	0.500	बैरी 3
37	राजाराम गुलाब बाबूलाल दोलत वल्देव पिता मोहनलाल लक्ष्मीनारायण हरिनारायण पिता सूरतसींग अशोकरानी बेवा सूरतसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	2.740	0.00	1.420	आम 6 जामुन 1 बैरी 5
38	बलीराम मिहीलाल शंकर पिता बाबूलाल मु. यशोदाबाई बेवा बाबूलाल रामनाथ श्रीकिशन लखन रामदयाल पिता रामप्रसाद सूरजसींग नारायणसींग रामगोपाल पिता रामलाल सुभतरानी बेवा रामलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	0.880	0.00	0.880	बैरी 2 बांसप्ररा 3 मकान कच्चा 1
		भूमि स्वामी	78	3.710	0.00	0.790	बैरी 1 आम 1 बांसप्ररा 1
39	रामस्वरूप मुरलीधर चेनसींग महेश पिता लक्ष्मन गुबन्दी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/1	0.820	0.00	0.820	खजूर 2 बैरी 2 बबूल 1 पलाश 1
40	मनका बल्द छुटटी, जगन्नाथ वल्द गुबन्दी शारदा गुलाबबाई पुत्री गुबन्दी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86/2	0.820	0.00	0.820	पलाश 1
41	गजराजसींग वल्द बिहारी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/1	2.380	0.00	1.720	आम 4 बैरी 4 बेल 1 इमली 1 बबूल 1 बांसप्ररा 4 पीपल 1 मकान कच्चा 1
42	रामसींग पिता बिहारी सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	88/2	2.380	0.00	0.350	आम 1 केथ 1 नीबू 1 सीताफल 1 पीपल 1 मकान कच्चा 1 पशुवाडा 1
43	राजाराम वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	0.640	0.00	0.250	अमरुद 3 मकान 1
44	गुलाब वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.390	0.00	0.130	मकान 1
45	बाबूलाल वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	91	0.390	0.00	0.040	
46	वल्देव वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.110	0.00	0.060	
47	दोलत वल्द मोहनलाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115	0.110	0.00	0.050	
48	अजयसिंह वल्द रामचन्द्रसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	147	0.040	0.00	0.040	
		भूमि स्वामी	148/1	0.410	0.00	0.330	
		भूमि स्वामी	154/4	1.290	0.00	1.260	बैरी 15
		भूमि स्वामी	192/1	0.190	0.00	0.060	

		भूमि स्वामी	193	0.050	0.00	0.050	
		भूमि स्वामी	194	0.130	0.00	0.130	
49	अमितसिंह वल्द रामचन्द्रसींग सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148 / 2	0.440	0.00	0.260	
		भूमि स्वामी	154 / 3	1.350	0.750	0.000	दयबल 1
		भूमि स्वामी	192 / 2	0.200	0.00	0.150	
50	सौरभसिंह वल्द कोमलसिंह सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148 / 3	0.460	0.00	0.240	
		भूमि स्वामी	154 / 2	1.390	0.00	0.860	
51	रनजीतसिंह वल्द कोमलसिंह सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	148 / 4	0.440	0.00	0.170	
		भूमि स्वामी	152 / 2	0.770	0.00	0.770	
		भूमि स्वामी	154 / 1	1.400	0.00	0.880	
		भूमि स्वामी	156	0.150	0.00	0.080	
52	कंचन, मनोज विनोद पिता ज्ञानी सविता पुत्री ज्ञानी राधा पुत्री गोरेलाल मुन्नी वेवा गोरेलाल प्रभू हुकुम पिता जमना, आशाराम पिता शंकर, कुसुमबाई, भूरीबाई पुत्री शंकर भगवतसींग पिता रामलाल तिज्जा पुत्री नन्हे हिम्मत सुमे पप्पू पिता मौनी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	150	1.430	0.00	1.400	बैरी 8 खजूर 3 बबूल 4
		भूमि स्वामी	152 / 1	0.800	0.00	0.800	सूलबबूल 1
		भूमि स्वामी	152 / 3	3.150	0.00	3.150	बैरी 1 खजूर 2 मकान कच्चा 1 पशुवाडा 1
53	चैनबाबू, महेश पिता लक्ष्मन किशन वल्द मुल्ली परणोत्तम वल्द रामस्वरूप सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	153	2.680	0.00	1.550	खजूर 2 बैरी 5 अमरुद 1 इमली 2 मकान पक्का 1 पशुवाडा 1
54	रामचन्द्रसिंह पिता भैयालाल सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	192 / 3	0.310	0.00	0.270	बबूल 1
55	प्रतिज्ञा उर्फ ववली पुत्री किशोरी लाल सा.राहतगढ़ भगवानसींग रामचरन दशरथ कमल लक्ष्मन रामेश्वर पिता देवीलक्ष्मी रामवती कृष्णा सविता संद्या पुत्री देवी फूलबाई वेवा देवी सा.रजौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	198	0.950	0.00	0.950	सूलबबूल 1
56	रशिमवाला पुत्री जीवनलाल पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी भगवानसींग रामचरन दशरथ कमल लक्ष्मन, रामेश्वर, पिता देवी लक्ष्मी रामवती कृष्णा सविता संद्या पुत्री देवी फूलबाई वेवा देवी पता सा रजौली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	203	3.790	0.000	2.880	
57	प्रेमबाई पति मुन्नालाल पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207 / 1	1.550	0.000	1.250	बैरी 5 आवला 2 मकान कच्चा 1
58	अनवर पिता अब्दुल वहीद पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207 / 2	0.750	0.000	0.750	गुरार 1
59	मुन्नालाल वल्द दयाराम पता सा राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207 / 3	1.600	0.000	1.550	आम 2 बैरी 2 अमरुद 1

60	रमेश, वलराम पिता लच्छु पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207 / 4	3.150	0.000	2.950	बैरी 5 नीबू 5 कैथ 1 आवला 1 अमरुद 2 सागोन 23 बांस 2 पलाश 3 सेमर 1 रुसल्ला 1 सूलबबूल 2 सतकटा 1 मकान पकडा 1 पशुवाडा 1
61	अनीस वल्द मु. समसुद्धीन पता सा राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207 / 5	1.600	0.000	1.550	अमरुद 3 बैरी 4
62	लालभिया वल्द अब्दुल वहीद सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	207 / 6	0.800	0.000	0.800	पलाश 2 सागोन 3
	कुल योग:-		90	96.63	0.750	79.530	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०१/०७/१७ को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने—अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियाँ, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 260-अ-82-2017-18

राजगढ़, दिनांक 30 मई 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना खूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम तुर्कोपुरा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्व कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

- (क) जिला – राजगढ़
- (ख) तहसील – नरसिंहगढ़
- (ग) ग्राम – तुर्कोपुरा
- (घ) क्षेत्रफल – 62.699

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक खूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम तुर्कोपुरा

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकम (हैक्टेयर में)		
		3	4	
1	2	3	4	
	तुर्कोपुरा	74.522	62.599	
	कुल योग :-	74.522	62.599	

अनुसूची :- (2)

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	संख्या नंबर	कुल रकम	प्रभावित रकम	
				3	4
1	2	3	4	7	
1	जमनाप्रसाद पिता खानचन्द जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	120/4/2	0.506	0.506	
	योग	1	0.506	0.506	
2	अगवानसिंह पिता थानसिंह कैलाशबाई बेवा थानसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	121/2	0.253	0.253	
	योग	1	0.253	0.253	
3	अमरसिंह, इमरतसिंह, कलीबाई, सुगनबाई, मगनबाई, छुटटनबाई पिता रामसिंह ललताबाई बेवा सरजनसिंह, धरमसिंह, जितेन्द्र पणीबाई, संगीताबाई, पिता सरजनसिंह, कलीबाई, बेवा गजराजसिंह अजयसिंह दीपाबाई पिकी बाई गोमाबाई पिता गजराजसिंह रेखाबाई ना.वा. पिता गजराजसिंह स प माता कलाबाई बेवा गजराजसिंह जाति घोसी नि.ग्रा. भू-स्वामी	123	0.557	0.557	
		124	0.405	0.405	
		125	1.746	1.746	
4	योग	3	2.708	2.708	
4	सुरेश पिता केशराजसेह निवासी ग्राम भू स्वामी	154/2	0.350	0.350	
	योग	1	0.350	0.350	
5	रमेश पिता केशराजसेह निवासी ग्राम भू स्वामी	154/1	0.350	0.350	
	योग	1	0.350	0.350	
6	मदनसिंह पिता केशराजसेह निवासी ग्राम भू स्वामी	137/3	1.307	1.100	
		154/3	0.350	0.350	
	योग	2	1.657	1.450	
7	सावित्री बाई पातेन लखन सिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	139/1	0.513	0.513	
	योग	1	0.513	0.513	
8	सरदारसिंह पिता प्रेमसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	144	0.557	0.557	
		145	0.051	0.051	
		184	0.595	0.595	
	योग	3	1.203	1.203	

9	भारतसिंह पिता धूलजी जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र. 1/2 भाग सोदरीबाईयोरमबाई गीताबाई कलीबाई पिता धूलजी मिश्रीलाल वेवा धूलजी जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र. 1/2 भाग	150	0.392	0.392
		182/1/1	0.260	0.260
	योग	2	0.652	0.652
10	कम्पुबाई पति रमेश बाबू निवासी याम भू स्वामी	153/1	0.025	0.025
		200/1	2.331	0.450
	योग	2	2.356	0.475
11	मवरी बाई पति मुरेश बाबू निवासी याम भू स्वामी	153/2	0.025	0.025
		200/2	2.331	0.450
	योग	2	2.356	0.475
12	ममताबाई पति मदनसिंह निवासी याम भू स्वामी	153/3	0.026	0.026
		200/3	2.330	0.450
	योग	2	2.356	0.476
13	सिद्धनाथसिंह पिता धूलजी जाति घोषी निवासी याम भू स्वामी	155/1	0.481	0.481
		1	0.481	0.481
14	पालम मोटस लिमिटेड द्वारा दिनेश कुमार पिता रामेश्वर निवासी याम भू स्वामी	156/1/1/1	0.098	0.098
		190/2	0.253	0.253
	योग	2	0.351	0.351
15	सोदान सिंह पिता सिद्धनाथ सिंह जाति घोसी निवासी याम भू स्वामी	156/1/1/2	0.506	0.506
		1	0.506	0.506
	योग	158/2	0.639	0.639
16	रुग्नानाथसिंह पिता जगराम जाति घोसी निवासी याम भू स्वामी	159/2	1.436	1.436
		160/2	0.253	0.253
	योग	173/1	0.108	0.108
	योग	4	2.436	2.436
17	मंगलसिंह पिता कनीराम निवासी याम भू स्वामी	161	1.442	1.442
		172/1	0.165	0.165
	योग	172/3	0.164	0.164
18	दिनेश कुमार पिता हरिसिंह निवासी याम भू स्वामी	3	1.771	1.771
		164/1/2/1	0.342	0.270
	योग	1	0.342	0.270
19	ललताबाई पति विक्रमसिंह जाति घोसी निवासी याम भू स्वामी	164/1/2/2	0.253	0.180
		165/1/1	0.633	0.110
	योग	2	0.886	0.290
20	विक्रमसिंह पिता धूलजी निवासी याम भू स्वामी	166/1	0.974	0.974
		1	0.974	0.974
21	लक्ष्मीनारायण पिता धूलजी निवासी याम भू स्वामी	166/2	0.973	0.973
		182/1/3	0.030	0.030
	योग	2	1.003	1.003
22	चन्नरसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी याम भू स्वामी	167/2	0.165	0.165
		1	0.165	0.165
23	रूपासिंह पिता मोहनलाल निवासी याम भू स्वामी	174/1	0.379	0.379
		1	0.379	0.379
24	सुरेस्कुमार पिता पर्वतसिंह जाति घोसी निवासी याम भू स्वामी	174/2	0.379	0.379
		174/4	0.380	0.380
	योग	2	0.759	0.759
25	जसवतसिंह पिता मंगलसिंह निवासी याम भू स्वामी	174/3	0.380	0.380
		1	0.380	0.380
	योग	175	2.782	2.782
26	देवकरण पिता कमलसिंह निवासी याम भू स्वामी	176	0.164	0.164
		177	0.810	0.750
	योग	178	0.253	0.253
	योग	4	4.009	3.949
27	सुरजसिंह पिता धनसिंह निवासी याम भू स्वामी	180	1.101	1.101
		1	1.101	1.101
28	प्रेमसिंह पिता बापुसिंह जाति घोसी निवासी याम भू स्वामी	181/2	0.225	0.225
		191/2/2/2	0.041	0.041
	योग	2	0.266	0.266
29	कामुबाई बेवा मोहनलाल निवासी याम भू स्वामी	185	1.138	1.138
		1	1.138	1.138
30	गोविन्दसिंह दत्तक पुत्र लाडीसिंह निवासी याम भू स्वामी	189/1	0.315	0.315
		1	0.315	0.315

31	गंभीरसिंह दत्तक पुत्र लाडसिंह ना.बा. सुन्दरबाई निवासी ग्राम भू-स्वामी	189/2	0.317	0.317
	योग	1	0.317	0.317
32	पावतोबाई बेवा बनोसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	191/1/2	0.158	0.158
	योग	1	0.158	0.158
33	दोलत सिंह पिता नन्हलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम भू-स्वामी	192/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
34	राजेन्द्रसिंह पिता हररासह निवासी ग्राम भू-स्वामी	192/1/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
35	नरबद सिंह चंचासह पिता कालराम जाति आई निवासी ग्राम भू-स्वामी	195/3/1	1.011	1.011
	योग	1	1.011	1.011
36	रुक्मणी बाई पाते चन सिंह जाति आई निवासी ग्राम भू-स्वामी	195/3/2/1	0.379	0.379
	योग	1	0.379	0.379
37	निमलाबाई पात्नि नरबदसिंह जाति आई निवासी ग्राम भू-स्वामी	195/3/2/2/1	0.380	0.380
	योग	1	0.380	0.380
38	केसरसिंह पिता खेमचन्द निवासी ग्राम भू-स्वामी	253/1	0.379	0.060
		199/1	1.341	0.200
	योग	2	1.720	0.260
39	गारिलाल पिता नाथलाल जाति बजारा निवासी ग्राम भू-स्वामी	253/2	0.506	0.060
	योग	1	0.506	0.060
40	लाइसिंह पिता रामचन्द जाति आई निवासी ग्राम भू-स्वामी	255/2	0.369	0.369
	योग	1	0.369	0.369
41	चादखो पिता अल्लाबद्द जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू-स्वामी	256/1	0.277	0.277
	योग	1	0.277	0.277
42	देवजी पिता रामचन्द जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	256/3	0.277	0.277
	योग	1	0.277	0.277
43	कलीबाई गोकुलबाई पिता केशरसिंह धापूबाई बेवा केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.	172/2	0.164	0.164
	योग	1	0.164	0.164
44	धरमसिंह जितेन्द्र पिता सरजनसिंह जाति घोसी निवासी राजगढ़ म.प्र. ग्राम भू-स्वामी	120/1	0.702	0.032
		127/5	0.506	0.506
	योग	2	1.208	0.538
45	अजयसिंह पिता गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा राजगढ़ म.प्र. ग्राम भू-स्वामी	120/2	0.702	0.702
		127/6	0.506	0.506
	योग	2	1.208	1.208
46	इमरतसिंह पिता रामसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	120/3	0.702	0.702
		127/3	0.342	0.042
		127/7	0.506	0.506
	योग	3	1.550	1.250
		146	1.113	1.113
47	गजराजसिंह पिता बापूसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	164/1/1	0.240	0.120
		164/2/2	0.209	0.180
		181/1	0.232	0.232
		182/2	0.342	0.342
		191/2/2/1	0.041	0.041
	योग	6	2.177	2.028
48	अमरसिंह पिता रामसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	120/4/1	0.195	0.195
		127/4	0.341	0.341
		127/8	0.506	0.506
	योग	3	1.042	1.042
49	अमरसिंह पिता केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.	172/4/1	0.082	0.082
		183/1/1	0.342	0.342
		193/1/1/1	0.737	0.737
		194/2/1	0.171	0.171
		196/2/2/1	0.240	0.240
	योग	5	1.572	1.572

		121/1	0.253	0.253
50.	हरिसिंह पिता मुकुन्द निवासी ग्राम भू स्वामी	156/1/2	0.604	0.604
		157/1	0.184	0.184
		191/2/1	0.165	0.165
	योग	4	1.206	1.206
		151/2	0.019	0.019
		152/2	0.367	0.367
		156/2/1	0.603	0.603
51.	रामसिंह पिता बापूसिंह जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	157/2/1	0.096	0.096
		181/3	0.078	0.078
		191/2/2/3	0.041	0.041
		198/1	0.202	0.077
	योग	3	0.512	0.512
		139/2	1.918	1.793
		136	2.301	0.733
52.	नवीबाई पत्नि समंदरसिंह जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	142	0.076	0.076
		187	0.455	0.455
		188	0.152	0.152
		190/1	0.379	0.379
	योग	5	3.363	1.795
53.	जसवन्तसिंह पिता मोतीसिंह जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	140	0.670	0.670
		141/3	0.076	0.076
		195/1/2	0.168	0.168
	योग	3	0.914	0.914
		167/1	0.164	0.164
54.	जसवन्तसिंह पिता बनेसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	251/1	0.013	0.013
		195/2	0.506	0.506
		196/1	1.682	1.682
	योग	4	2.365	2.365
		141/1	0.038	0.038
55.	देवीसिंह पिता मोतीसिंह जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	148/1	0.240	0.240
		149	0.468	0.468
		195/1/3	0.169	0.169
	योग	4	0.915	0.915
		183/2	0.379	0.379
56.	देवीसिंह पिता मंगलसिंह जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	193/2/1	0.698	0.698
		194/1/2	0.170	0.170
		196/2/1/1	0.297	0.297
		196/3	0.164	0.164
	योग	5	1.708	1.708
57.	समन्दरसिंह पिता मोतीसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	141/2	0.430	0.430
		148/2	0.317	0.317
		195/1/1	0.169	0.169
	योग	3	0.916	0.916
58.	जीवनसिंह पिता प्रेमसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	147	0.506	0.506
		164/2/1	0.208	0.108
		165/2/3	0.316	0.100
	योग	3	1.030	0.714
		151/1	0.019	0.019
59.	भारत सिंह पिता धुन जी जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	152/1	0.367	0.367
		186	0.405	0.405
		192/2	0.443	0.443
		182/1/2	0.029	0.029
	योग	5	1.263	1.263
		156/2/2	0.604	0.604
60.	लखनसिंह पिता बापूसिंह निवासी ग्राम भू स्वामी	157/2/2	0.097	0.097
		181/4	0.123	0.123
		191/2/2/4	0.041	0.041
		196/2/3	0.443	0.443
		198/2	0.203	0.077
	योग	6	1.511	1.385
61.	लालकुवर पत्नि कमलसिंह जाति धोसी निवासी ग्राम भू स्वामी	158/1/1	0.319	0.319
		159/1/1	0.717	0.717
		173/2	0.107	0.107
	योग	3	1.143	1.143

62	सजनसिंह पिता सिद्धनाथसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू-स्वामी	158/1/2	0.160	0.160
		159/1/2	0.359	0.359
63	खुगलनसिंह पिता सिद्धनाथ जाति घोसी निवासी ग्राम भू-स्वामी	160/1/1	0.126	0.126
		3	0.645	0.645
64	गोपालसिंह पिता माधोसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	158/1/3	0.160	0.160
		159/1/3	0.359	0.359
65	भेससिंह पिता मंगलसिंह जाति घोसी निवासी ग्राम भू-स्वामी	160/1/2	0.127	0.127
		3	0.646	0.646
66	राहुल पिता मोडसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	168/1	0.334	0.334
		1	0.334	0.334
67	रोहित पिता मोडसिंह जाति निवासी ग्राम भू-स्वामी	193/2/2	1.079	1.079
		194/1/1	0.171	0.171
68	जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	196/2/1/2	0.462	0.462
		3	1.712	1.712
69	मानसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	138/2/1	0.130	0.065
		168/2/1	0.168	0.168
70	राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	169/2/1	0.256	0.256
		170/2/1	0.461	0.461
71	शिवनारायण पिता गोपालसिंह निवासी ग्राम भू-स्वामी	4	1.015	0.950
		138/2/2	0.098	0.085
72	पुष्पद सोनी पत्नि ओमप्रकाश पता निवासी कुरावर भू-स्वामी	168/2/2	0.168	0.168
		169/2/2	0.257	0.257
73	देवीसिंह पिता मोतीलाल जाति घोसी निवासी ग्राम भू-स्वामी	170/2/2	0.409	0.409
		171	0.051	0.051
74	मूलचन्द पिता केशरसिंह जाति घोसी पता तुर्कपुरा नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.	योग	5	0.983
		169/1/2	0.145	0.145
75	महाबोग	170/1/2	0.200	0.200
		2	0.345	0.345
76	महाबोग	169/1/3	0.155	0.155
		170/1/3	0.200	0.200
77	महाबोग	2	0.355	0.355
		169/1/1	0.146	0.146
78	महाबोग	170/1/1	0.200	0.200
		2	0.346	0.346
79	महाबोग	138/1/2	0.114	0.006
		169/1/4	0.154	0.154
80	महाबोग	170/1/4	0.200	0.200
		3	0.468	0.360
81	महाबोग	195/3/2/2/2	0.253	0.253
		1	0.253	0.253
82	महाबोग	155/2	0.253	0.253
		1	0.253	0.253
83	महाबोग	172/4/2	0.083	0.083
		183/1/2	0.342	0.342
84	महाबोग	193/1/1/2	0.736	0.736
		194/2/2	0.171	0.171
85	महाबोग	196/2/2/2	0.240	0.240
		5	1.572	1.572
भूगि के नवयो (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।		74.522	62.599	

पत्र क्र. 272-भू-अर्जन-2019

राजगढ़, दिनांक 31 मई 2019

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में झरन्या जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ झरन्या जलाशय निर्माण के ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्रं.	विवरण	
	निजी भूमि झरन्या जलाशय के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे.)
1	ग्राम-झरन्या की भूमि	3.470
2	ग्राम-लखोनी की भूमि	0.572
	योग	4.042

(1) झरन्या तालाब के ग्राम झरन्या की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	हरकचन्द पिता प्यारजी भील	1/12/24	0.500	0.334
2	जगदीश पिता कवरलाल भील	1/12/25	0.500	0.250
3	प्यारा, कान्हा, देव्या पिता श्रीया लोधा	15	0.874	0.400
		21	0.368	0.368
		23	0.101	0.101
		32	0.292	0.012
4	रामरतन, सरदार सिंह रायसिंह पिता भवरलाल ना. वा. स.प. माता गुलाबबाई बेवा भवरलाल बा. बरजी बेवा देवसिंह	योग	4	1.635
			18	0.049
				0.049
				0.672
				0.672
		योग	2	0.721
				0.721

		22	0.328	0.328
5	मांगीलाल पिता भवरलाल अमरी, कंची पुत्रिया भवरलाल जमीनी बेवा भवरलाल, अमरा, उम्मेद पिता रत्ता केशर पुत्री रत्ता मुरुला बेवा रत्ता	24	0.125	0.125
	योग	2	0.453	0.453
		25/1	0.074	0.074
6	रामसिंह पिता गोपीलाल पुरीबाई पुत्री गोपीलाल मुकवंशी बेवा गोपीलाल चम्पा पिता बापूलाल, रत्नलाल पिता बापूलाल, राधी, बावरी, गोरा, पिता रोडा संतरा पिता परसा लोडा	25/3	0.146	0.146
	योग	2	0.220	0.220
7	रामसिंह, फोजी, धीसा, किशना, अमरसिंह पिता नन्दा काली बेवा नन्दा, खीमा, तुलसा, पांचा पिता देव्या, दयाराम, देवीलाल, मदनलाल, नानुशाम, फुलघन्द पिता उंकार नानीबाई बेवा उंकार	25/2	0.221	0.221
8	रामा पिता रोडा चमार	47 47/380 14,48/380 100	0.380	0.200
9	पुरीलाल, गिरधारी कंवरलाल पिता मांग्या मु. पुरीबाई बेवा मांग्या अमरसिंह पिता गोपीलाल मु. पुरीबाई बेवा गोपीलाल लोडा	1/43/1	0.095	0.095
10	अमरसिंह पिता गोपीलाल मु. पुरीबाई गोपीलाल लोडा नि. सेदरी	1/43/2	0.095	0.095
	योग	16	4.820	3.470

(2) झरन्या तालाब के ग्राम लखोनी की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकमा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकमा
11	गिरधारी पिता किशोर लोडा	299/174 62	0.113 0.785	0.113 0.232
	योग	2	0.898	0.345
12	प्रभु, मोडसिंह, रुपजी पिता भवरिया ग्यारसीबाई, धापुबाई, केशर, कंवरीबाई पुत्री भवरीबाई राधेश्याम, पूरया पिता हरला मु. जमनी बेवा हरला लोडा	255/174	0.227	0.227
	योग	1	0.227	0.227
	योग	3	1.125	0.572
	महा योग	19	5.945	4.042

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 274-अ-82-2016-17

अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता कंग अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद्द सिंचाई परियोजना तहसील व्यावरा ज़िला राजगढ़ की ग्राम बख्तावरपुरा के लिये ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वेक्षण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यहा घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद्द सिंचाई परियोजना के ढूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम बख्तावरपुरा

क्रमांक	प्रभावित कृषक का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकवा	प्रभावित रकवा
1	2	3	4	5
1	रतीराम पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा. भूस्वामी	13/1 /	0.076 /	0.076 /
		12/1 /	0.355 /	0.175 /
		2/1 /	0.612 /	0.250 /
2	रेवाराम पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा. भूस्वामी	13/2 /	0.039 /	0.039 /
		2/2 /	0.305 /	0.137 /
3	बन्दीलाल पिता बापूलाल जाति रुवाला नि.ग्रा. भूस्वामी	13/3 /	0.277 /	0.277 /
		2/3 /	0.235 /	0.050 /
		4/1 /	0.565 /	0.335 /
योग:-ग्राम बख्तावरपुरा		किता-8	2.461	1.339

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील व्यावरा ज़िला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-358

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र, पाल एवं वेस्टियर में प्रभावित होने से पूरक प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय		तहसील – खिलचीपुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेएम)	
	निजी भूमि गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से		
1	ग्राम—गणेशपुरा की भूमि	5.671	
2	ग्राम—भोजपुर की भूमि	0.197	
	योग	5.868	

अनुसूची (2)

(2) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम गणेशपुरा की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक प्रकरण

ग्राम – गणेशपुरा		तहसील – खिलचीपुर	जिला राजगढ़	
क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	कंवरलाल, प्यारसिंह आ. कनीराम जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	41	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
2	मु. पार्वतीबाई दल्लूबाई बेवा कंवरलाल रामलाल, कालू मोरसिंह छगलसिंह पिता कंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्तानी	39/62/1	0.214	0.214
	योग	1	0.214	0.214
3	नाराणसिंह पिता भैरलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्तानी	39/5/1 39/57	1.123 0.821	1.123 0.821
	योग	2	1.944	1.944
4	हिरालाल, पिता गेंदा जाति लोडा नि ग्राम भू स्तानी	39/8/1	2.023	0.253
	योग	1	2.023	0.253

क्र.	कृष्ण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5	विजेसिंह आ. भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/21/1	2.023	2.023
		42	0.012	0.012
		योग	2	2.035
6	लालसिंह पिता विजेसिंह जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/21/2/2	0.253	0.253
		योग	1	0.253
7	करणसिंह प्रेमसिंह भगवानसिंह पिता बापुलाल जाति लोडा नि ग्राम भूस्वामी	39/21/2/1	0.253	0.253
		योग	1	0.253
8	देवबाई वैवा भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/109	0.202	0.202
		योग	1	0.202
9	भेरुलाल पिता भंवरलाल जाति लोडा नि ग्राम भू स्वामी	39/97	0.239	0.239
		योग	1	0.239
10	कुका पिता धीसा जाति चमार नि.ग्रा.भोजपुर	39/38	1.481	0.253
		योग	1	1.481
		कुल योग	12	6.899
				5.671

(3) गणेशपुरा (भोजपुर) जलाशय में ग्राम भोजपुर की निजी भूमि प्रभावित होने से पूरक प्रकरण

ग्राम — भोजपुर	तहसील — खिलचीपुर	जिला राजगढ़
1 करणसिंह पिता बापुलाल रंगलाल पिता मोतीलाल जाति लोडा नि.ग्रा. गणेशपुरा	1030/2/1	0.197
योग	1	0.197
कुल योग	13	7.096
		5.868

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान आदि का नियोक्ताण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 359

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013))

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डालिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम कडलावद के लिये ढूब में प्रभावित मकानों हेतु आवश्यक वर्णित निजी मकानों जिनका कृषकवार व मकान क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भवन अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम :- कडलावद		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्र (दर्ग मी.)	
1	निजी मकान 1. कुण्डालिया बौद्ध परियोजना के निर्माण में एवं ढूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	202.030	
	योग	202.030	

अनुसूची (2)

(1) कुण्डालिया बौद्ध परियोजना में प्रभावित होने से

	कृषक का नाम/पिता का नाम	मकान नं.	अर्जित किये जाने वाले मकान का क्षेत्र (वर्ग मी.)
1	2	3	4
1	नन्दकिशोर पिता शिवनारायण जाति जैन	327/1	77.930
	योग		77.930
2	देवीसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	147/1 148/1	62.050
	योग		62.050
3	कविता पिता हरिसिंह जाति गुर्जर	147/2 148/2	62.050
	योग		62.050
			202.030

नोट :- भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र क्रमांक 379-अ-82-2017-18

राजगढ़, दिनांक 1 जून 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना खूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम गेहूखेड़ीकलां तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थी आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

- (क) जिला – राजगढ़
- (ख) तहसील – नरसिंहगढ़
- (ग) ग्राम – गेहूखेड़ीकलां
- (घ) क्षेत्रफल – 7.360

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक खूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम गेहूखेड़ीकलां

संक्र.	विवरण	भूमि का रकमा (हिकटेयर में)		
		2	3	4
	गेहूखेड़ी कलां		15.480	7.360
	कुल योग :-		15.480	7.360

अनुसूची :- (2)

संक्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकमा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सुलेमान खा पिता करामत खा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	151	0.683	0.090	0.000	0.090
	योग	1	0.683	0.090	0.000	0.090
2	रामप्रसाद पिता प्रभूलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	161/3	0.367	0.000	0.065	0.065
	योग	1	0.367	0.000	0.065	0.065
3	जगदीश पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	161/4	0.366	0.000	0.100	0.100
	योग	1	0.366	0.000	0.100	0.100
4	केलाश पिता बट्टलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	161/5	0.366	0.000	0.200	0.200
	योग	1	0.366	0.000	0.200	0.200
5	अबदुल रहीम पिता करामतखा वगरह निवासी ग्राम भू स्वामी	173/1	3.541	0.000	0.760	0.760
	योग	1	3.541	0.000	0.760	0.760
6	ताजवा पाते अबदुल रहमान जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	176/4	1.265	0.125	0.000	0.125
	योग	1	1.265	0.125	0.000	0.125
7	विष्णु पिता प्रभूलाल चमार जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1/4	0.500	0.000	0.030	0.030
	योग	1	0.500	0.000	0.030	0.030
8	बिहरा पिता गणपत जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1/7	0.300	0.000	0.150	0.150
	योग	1	0.300	0.000	0.150	0.150
9	बशी पिता गणपत जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1/8	0.300	0.000	0.300	0.300
	योग	1	0.300	0.000	0.300	0.300

10	दाउद खों पिता करामत खों जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	159/1/1	0.102	0.000	0.007	0.007
	योग	1	0.102	0.000	0.007	0.007
11	जहानीर खों शमशुद्धीन खों पिता रसूल खों 70 पै नौसाद खों काले खों पिता शमशुद्धीन खों रुखसाना बी अपसाना बी गुडडी बी ना बा पिता शमशुद्धीन खों सर माता मु कल्ली बी येवा शमशुद्धीन 30 पै जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/2/2	1.240	0.000	1.240	1.240
	योग	1	1.240	0.000	1.240	1.240
12	बंशीलाल बिहारीलाल पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/5	1.265	0.000	1.265	1.265
	योग	1	1.265	0.000	1.265	1.265
13	गोराबाई पत्नि बंशीलाल राधेश्याम ना. बा. सर. पिता बंशीलाल पिता गणपत जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/6	1.265	0.000	0.910	0.910
	योग	1	1.265	0.000	0.910	0.910
14	देवीसिंह पिता गोरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि	176/7	1.265	0.000	0.400	0.400
	योग	1	1.265	0.000	0.400	0.400
15	दलशेर खों पिता इसव खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/1/1	0.304	0.000	0.050	0.050
	योग	202/176/1	0.032	0.000	0.032	0.032
	योग	2	0.336	0.000	0.082	0.082
16	इस्माइल खों पिता शकूर खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/1/2	0.126	0.000	0.050	0.050
	योग	202/176/2	0.063	0.000	0.063	0.063
	योग	2	0.189	0.000	0.113	0.113
17	हबीब खों पिता ईसब खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/1/3	0.380	0.000	0.050	0.050
	योग	202/176/3	0.031	0.000	0.031	0.031
	योग	2	0.411	0.000	0.081	0.081
18	कदीर खों पिता अब्दुलरहमान खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/2/1	0.085	0.000	0.085	0.085
	योग	1	0.085	0.000	0.085	0.085
19	तैयब खों पिता नहार खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/2/2	0.084	0.000	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.000	0.084	0.084
20	वकील खों पिता मजीद खों, जेतूनबाई बेवा मजीद खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	176/8/2/3	0.084	0.000	0.084	0.084
	योग	1	0.084	0.000	0.084	0.084
21	शरीफ खों पिता पीर खों जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी	207/146	0.177	0.000	0.060	0.060
	योग	1	0.177	0.000	0.060	0.060
22	नौसाद खों पिता शमशुद्धीन खों जाति मेवाती पता निवासी ग्राम गेहूखेड़ी कला भू-स्वामि	176/2/1	1.289	0.000	1.129	1.129
	योग	1	1.289	0.000	1.129	1.129
	महायोग		15.480	0.215	7.145	7.360

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 381-भू-अर्जन-2019

अनुसूची (1)

(अंतर्गत धारा – 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्वव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में भगोरी जलाशय तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमाक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (2)**भगोरी जलाशय****तहसील – जीरापुर**

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेएमें)
	निजी भूमि भगोरी जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	
1	ग्राम—भगोरी की भूमि	31.090
	योग	31.090
अनुसूची (2)		

(1) भगोरी जलाशय में ग्राम भगोरी की निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एंव जाति	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	मांगीलाल पिता देवजी गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	243/1	0.728	0.400
		244/1	0.222	0.100
2	बाल सिंह पिता देवजी गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	244/2	0.863	0.300
		249/3/1	1.038	1.038
3	छगनसिंह पिता देवजी गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	245	0.571	0.571
		249/3/2	0.379	0.180

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एंव जाति	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
4	गोपाल मांगीबाई पिता सीताराम उर्फ छीता जानीबाई विधवा छीताराम उर्फ सीताराम जाति—चमार, नि.ग्राम भूमि स्वामी	246	2.821	0.400
5	देवीलाल पिता सीताराम जाति ब्राह्मण, नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/4/1 272/1 275/1 276/1	2.057 0.051 0.617 0.414	2.057 0.051 0.617 0.414
6	रामनारायण, कृष्णबाई आ० विष्णु भगवतीबाई पिता सीताराम जाति—ब्राह्मण, नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/4/2 272/2 275/2/1 276/2/1	2.057 0.051 0.148 0.314	2.057 0.051 0.148 0.314
7	बबलीबाई विधवा बद्रीलाल खुशबू महक, राधा तीनों नाबालिक सर माता बबलीबाई दिनेश, लीलाबाई पिता रामेश्वर श्यामाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण ज्योतिबाई नाबालिक पिता लक्ष्मीनारायण सर माता श्यामाबाई विधवा लक्ष्मीनारायण जाति—ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी	272/3 275/3 276/3	0.052 0.617 0.414	0.052 0.617 0.414
8	गंगाराम ऊदा नानूराम पिता पूराजी, जाति—काढी नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/5 249/6/1	1.862 3.820	0.900 0.300
9	लक्ष्मीनारायण पि. बापूलाल गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/10	4.047	1.000
10	ऊदा पिता लक्ष्मण जाति—गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/8/2 249/14	2.023 4.047	2.023 4.047
11	मांगीलाल पिता परथीसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	249/17	2.000	1.000
12	नारायणसिंह पिता परथीसिंह जाति—गुर्जर, नि.ग्राम भूमि स्वामी	257/3	2.023	2.023
13	गीताबाई वि. सुरेन्द्रसिंह जाति—गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	268 269 270 271 273	0.506 0.470 0.121 0.405 2.569	0.506 0.470 0.121 0.405 1.250
14	जितेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह, जाति—गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	274/1	0.392	0.200
15	विक्रमसिंह पिता सूरेन्द्र सिंह जाति—गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	278	0.486	0.486

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम एंव जाति	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
16	यशवन्तसिंह पिता नाथूलाल, जाति—गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	274/2	0.846	0.700
		284/2	0.154	0.154
17	नन्दबाई बेवा रतनलाल मोहनलाल, इन्दरसिंह पिता रतनलाल, सरोजबाई, सन्तोषबाई पिता रतनलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	277	0.344	0.344
		279	0.466	0.466
		280/1	0.533	0.533
18	रामबाबू, गंगाप्रसाद पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण, नि.ग्रा. भूमि स्वामी	249/4/4	0.686	0.686
		276/2/2	0.100	0.100
19	कंवरलाल पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	257/1/2	1.000	1.000
20	श्रीनाथ, बजरंग, रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति काढ़ी निवासी ग्राम भूमि स्वामी	249/4/3/1	0.685	0.685
		249/4/3/2	0.685	0.685
21	मांगीलाल पिता धीसालाल जाति सौन्ध्या निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमि स्वामी	249/9/2	2.000	0.256
22	मांगीलाल, नानूराम, हीरालाल, कस्तूरी बाई पिता कंवरलाल जाति चमार निवासी ग्राम डोंगर गाँव तह. सुसनेर भूमि स्वामी	249/8/1	6.070	0.075
23	धीसा पिता भवरिया जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	257/4	2.023	0.366
24	शफीनाबाई पत्नि करीम खाँ जाति पिंजारा पता निवासी भगोरा भूमि स्वामी	257/1/3	1.000	0.205
25	रामलाल पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम भूमि स्वामी	284/1/1	2.000	0.323
कुल योग		47	56.777	31.090

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरिक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी द्विलक्ष्मीपुर के कायालिय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसंचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 2576-भू-अर्जन-वर्ष 2019**

बैहर, दिनांक 7 जून 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूचि के खाने 6 में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा द्वितीय वर्टिकल शाफ्ट को जाने के लिए मार्ग एवं अन्य इन्फार्ड्रक्चर हेतु तथा कंपनी कार्य हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन			
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	1	2	3	4	5	6
बालाघाट	परसवाड़ा	गुदमा, लगमा	निजी भूमि - 0.639 हेक्टर 8.054 हेक्टर कुल रकबा 8.693 हेक्टर	भू-अर्जन अधिकारी बैहर जिला बालाघाट	मॉयल लिमिटेड उक्तवा मॉयल कम्पनी कार्य हेतु			

2— अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmblaghat@nic.in एवं मोप्रो भासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है।

3— अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०) / भू-अर्जन अधिकारी बैहर के न्यायालय में किया जा सकता है।

4— अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण खान प्रबंधक उक्तवा खान बालाघाट में भी किया जा सकता है।

5— अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्राकशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर बालाघाट/अ०वि०अ० (रा०) बैहर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 155 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्हमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2019

क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3-2019-सात-शा. 7, दिनांक 13 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्हमान खान, उपसचिव.

Bhopal the 13th June 2019

No. F-2-3-2019-VII-S 7.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of Section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, notifies Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation and Madhya Pradesh Tourism Board, that are owned and controlled by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र.-भू-अर्जन-02-(अ-82) 2018-19-06

डिण्डौरी, दिनांक 25 मई 2019

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-शहपुरा प.ह.नं. 44 रा.नि.म. शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वें नं.	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शहपुरा	1	शिवकुमारसिंह पिता शिवभजनसिंह	858	2.95	0.03	बिलगाँव जलाशय
	2	हरीलाल पिता रामा	857/4	0.65	0.05	नहर कार्य हेतु,
			853/1	0.97	0.09	
	3	उमाकांत पिता रामभरोस	857/1	0.49	0.04	
	4	दीपाली पिता श्रीकान्त ना.बा.पा.मॉ सरोज	853/2/क	0.57	0.04	
	5	प्रियंका पिता श्रीकान्त ना.बा.पा.मॉ सरोज	853/2/ख	0.57	0.03	
			853/2/ग	0.46	0.03	
	6	भोला पिता बुद्ध	856	1.93	0.09	
	7	ज्ञानचंद पिता विश्वम्भर	855	0.64	0.03	
	8	रामकुमार पिता मूरतलाल	854/1	0.64	0.03	
	9	मूरतलाल, सुदर्शन, ओमकारप्रसाद पिता हरभजन	854/2/1	0.48	0.03	
	10	मनोजकुमार सुरेंद्रकुमार पिता मुनालाल, कमलाबाई पिता मुनालाल.	671/1	1.38	0.05	
	11	यदुनाथ पिता रामलाल	671/3/क	0.29	0.05	
	12	टीकाराम पिता रामभरोस	678/2	1.45	0.05	
	13	सुशीलकुमार पिता बद्रीप्रसाद	685/1/ख	1.08	0.02	
	14	रंजनकुमार पिता बद्रीप्रसाद	685/1/ग	1.08	0.02	
	15	रमेशकुमार पिता बृजमोहन	637/3	0.05	0.04	
	16	नवरतनसिंह पिता अजमेरसिंह	638/1/क	0.28	0.05	
	17	हुकुमचंद पिता दुर्गप्रसाद	616/1/झ	0.61	0.09	
	18	चन्दूलाल पिता बुद्ध, कलीबाई, भूरीबाई, लल्लीबाई पिता बुद्ध	463/11	0.26	0.04	
	19	खुशीलाल, गणेश पिता संतोखिया, लल्लाबाई पिता संतोखिया, पुड़या, लक्ष्मी, मीना पिता संतोखिया.	687/1	0.24	0.04	
	20	होरीलाल पिता छकौड़ी	687/3	0.23	0.02	
	21	संजय पिता कमलू	688/1/1	0.26	0.03	
	22	रमेश, राजू, गोपाल पिता प्रेमलाल, झीनाबाई पिता प्रेमलाल.	688/2	0.29	0.02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	राम पिता कमलू		688/3	0.26	0.02	
24	लल्ला पिता तांती		692/2	0.38	0.05	
			692/1	0.38		
25	घसीटाबाई पिता भूगा, राजकुमार, अनोज, पार्वती, रुक्मणी पिता भूरा.		692/3	0.38	0.02	
26	बुद्ध पिता तांती		692/4	0.38	0.02	
27	मिलन पिता तांती		692/5	0.38	0.02	
28	गोरा पिता तांती		692/6	0.38	0.02	
29	संजयकुमार पिता भगवानदास		889/1	2.59	0.10	
30	सालिगराम पिता रामसेवक		889/2	1.01	0.09	
31	राजेशकुमार पिता सैलेशकुमार पिता दुर्गा आ. पा. पिता दुर्गा.		795/2	0.26	0.05	
32	अनुपमा पिता दिलीपकुमार		795/5/ख	0.22	0.02	
			795/6/ख			
33	जगदीश, भूरा, रामकुमार पिता रूपलाल		795/3/1	2.73	0.03	
34	फतेलाल पिता सैलानी		795/5/क	2.14	0.03	
			795/5/ग			
35	रामभरोस पिता मंगल आ.पा. पिता मंगल पिता लम्पू.		438/1	0.81	0.15	
36	अशोक कुमार पिता रामस्वरूप		442/4	1.34	0.05	
37	भूरा, रामकुमार, गुलाब पिता बारेलाल		442/5	0.67	0.08	
38	रामप्यारी पति रामरत्न		455/3	0.41	0.02	
39	मुलुवा, चुनी पिता पिन्डू		733	3.86	0.11	
40	रामदास पिता रतीराम		432/8/क/3	0.10	0.04	
41	गेंदलाल पिता रतीराम		432/8/क/5/1	0.10	0.01	
42	अशोक पिता रतीराम		432/8/क/2	0.12	0.01	
43	नानाबाई पति गोविन्द, प्रीती, प्रिया, निखिल, राजकुमारी, पिता गोविन्द ना.बा. मॉ. नानाबाई.		432/8/क/4	0.13	0.01	
44	दुर्गबाई पति रतीराम, अशोक, रामदास पिता रतीराम, प्रीती, प्रिया, राजकुमारी, निखिल पिता गोविन्द ना. बा. मॉ. नानाबाई, गेंदलाल पिता रतीराम.		432/8/क/1	0.14	0.01	
45	तुलाराम पिता भैयालाल		432/7	0.67	0.06	
46	विभाषकुमार, सुभाषकुमार, संगीता, सुषमा पिता श्यामलाल.		57/6	1.12	0.12	
47	अशोककुमार पिता अमृतलाल		64/3	1.69	0.01	
48	अरविंद पिता अजीत जैन		175	0.43	0.08	
49	जनोहर पिता समनू		236/2	1.15	0.21	
50	विमला पति हरकपाल		372/1	1.26	0.08	
51	बिशनप्रसाद, शिवप्रसाद, मोहनलाल, महेशप्रसाद पिता झल्लाप्रसाद.		374/1	0.81	0.06	
52	राजेन्द्र कुमार, राकेश, रमेश, पिता रुद्रशरण, कृष्ण कुमार, रामकुमार, सुशीलकुमार, कमल, पिता ललताप्रसाद लक्ष्मणशरण पिता जानकीप्रसाद, श्रीकांत, कृष्णकांत पिता वेदशरण.		381/1	2.57	0.05	
योग:-52	कृषक			46.71	2.64	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें. नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेंगी।

क्र. भू-अर्जन-24 (अ-82) 2018-2019-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शिव्वर शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची						
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला बांयी	78	0.02	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय
		तट सबमाइनर	77	0.04	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य
	01.		76/1	0.03	डिण्डौरी.	
			75	0.02		
			72	0.01		
			114/1	0.03		
			114/2	0.04		
			113/1	0.02		
			113/2	0.02		
			123	0.01		
			122	0.03		
			137	0.02		
			138	0.02		
			139	0.02		
			142	0.04		
			143	0.03		
			158/1	0.03		
			159	0.08		
			133	0.04		
			132	0.08		
			180	0.09		
			183	0.14		
			185	0.01		
			योग . .	0.87		
	शासकीय भूमि		184	0.01		
			योग . .	0.01		
			सकल योग . .	0.88		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-25 (अ-82) 2018-2019-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वृक्षासन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

जिला	भूमि का वर्णन		सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मटका रैयत बांयी	385	0.09	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय
		तट मुख्य माइनर	387	0.02	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य.
			388	0.03	डिण्डौरी.	
			288	0.07		
			290	0.19		
			343	0.12		
			342	0.10		
			301	0.07		
			318	0.10		
			319	0.14		
			324	0.05		
			325/2	0.04		
			327	0.02		
			328	0.02		
			334	0.09		
			186	0.15		
			188	0.02		
			187	0.09		
			185/1	0.04		
			47	0.01		
			48	0.04		
			62	0.08		
			67	0.09		
			69	0.16		
			70	0.02		
			118	0.28		
			91	0.11		
			92	0.29		
			93/1	0.05		
			93/2	0.05		
			94/2	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			96/2	0.27		
			97	0.14		
			योग . .	<u>3.07</u>		
			शासकीय भूमि			
			289	0.03		
			304	0.05		
			331	0.03		
			190	0.03		
			95	0.03		
			85	0.04		
			98	0.03		
			योग . .	<u>0.24</u>		
			सकल योग . .	<u>3.31</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-26 (अ-82) 2018-2019-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

जिला	भूमि का वर्णन			भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला दांयी	624	0.02	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय
		तट सबमाइनर 02.	623	0.05	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य.
			592	0.02	डिण्डौरी.	
			525	0.02		
			594	0.03		
			593/2	0.02		
			598	0.04		
			600/2	0.01		
			601/1	0.03		
			601/2	0.04		
			511	0.03		
			510	0.02		
			281	0.01		
			503	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			513	0.01		
			524/1	0.02		
			528	0.01		
			499	0.01		
			498	0.04		
			283	0.02		
			285	0.01		
			286/2	0.01		
			योग . .	<u>0.48</u>		
					शासकीय भूमि	
			605/1	0.01		
			517	0.01		
			519	0.02		
			योग . .	<u>0.04</u>		
			सकल योग . .	<u>0.52</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-27 (अ-82) 2018-2019-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्कबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा सरबाही माल बांधी तट सबमाइनर 04.	माल बांधी	198 199 202/1 201 188 187 186 183/1 183/3 179 172 514	0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.04 0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			512	0.04		
			509/1	0.01		
			योग . .	<u>0.30</u>		

शासकीय भूमि	
196	0.05
236	0.01
178	0.01
योग . .	<u>0.07</u>
सकल योग . .	<u>0.37</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-28 (अ-82) 2018-2019-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिप्लौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची						
भूमि का वर्णन			निर्माण कार्य एंजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिप्लौरी	शहपुरा सरवाही माल बायी तट मुख्य माइनर.	766	0.01	कार्यपालन यंत्री,		
		765	0.14	जल संसाधन संभाग,		
		763	0.06	डिप्लौरी.		
		759	0.10			
		385/1	0.22			
		385/2	0.02			
		374	0.05			
		372	0.08			
		129	0.17			
		369/1	0.16			
		367/1	0.03			
		365	0.12			
		363	0.26			
		362/1	0.02			
		362/2	0.01			
		357	0.02			
		359	0.07			
		360	0.11			
		330	0.13			
		331	0.01			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			322	0.13		
			333/1	0.04		
			333/2	0.02		
			336	0.08		
			310/1	0.04		
			310/2	0.02		
			311	0.04		
			307/1	0.02		
			237/1	0.04		
			237/2	0.08		
			238/1	0.02		
			238/2	0.10		
			240	0.03		
			239	0.01		
			252/1	0.05		
			252/2	0.05		
			253	0.03		
			254	0.10		
			127	0.06		
			128/1	0.07		
			128/2	0.07		
			140	0.03		
			130	0.14		
			116	0.06		
			115	0.10		
			113/1	0.06		
			113/2	0.06		
			102	0.08		
			106	0.04		
			271	0.08		
			273/1	0.03		
			274/1	0.05		
			274/2	0.04		
			275	0.02		
			278	0.02		
			योग . .	<u>3.70</u>		

शासकीय भूमि

376	0.02
758	0.03
358	0.01
306	0.01
247	0.01
117	0.02
104	0.01
276	0.02
योग . .	<u>0.13</u>
सकल योग . .	<u>3.83</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-29 (अ-82) 2018-2019-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची						
जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्कबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा सरवाही माल बायी तट सबमाइनर 03.	361 414 415 417 407 718 719 717 714 712 686 687 685 684/1 683 673/2 494 614 617 622 620 621 628 631/3	0.03 0.08 0.03 0.01 0.08 0.01 0.09 0.05 0.05 0.05 0.01 0.02 0.07 0.01 0.01 0.04 0.02 0.08 0.08 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.	
		योग . .	0.96			
शासकीय भूमि						
		364 416 715 713 689 676 योग . .	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06			
		सकल योग . .	1.02			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-30 (अ-82) 2018-2019-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन			निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	देवरी कला बांयी	64/1	0.06	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय
		एवं दायी तट मुख्य माइनर.	64/3	0.06	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य.
			70	0.06	डिण्डौरी.	
			62	0.06		
			61	0.09		
			79	0.16		
			53	0.08		
			56	0.11		
			45	0.30		
			13	0.05		
			44	0.11		
			12	0.03		
			10	0.06		
			8	0.07		
			1	0.22		
			338	0.01		
			337	0.02		
			359	0.26		
			340	0.10		
			363	0.23		
			364	0.02		
			365/1	0.16		
			430	0.08		
			432	0.04		
			425	0.05		
			426	0.02		
			424	0.05		
			420	0.09		
			419/2	0.07		
			418	0.04		
			417	0.11		
			416/2	0.06		
			414	0.06		
			637	0.17		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			635/1	0.17		
			632	0.18		
			633	0.07		
			628	0.02		
			625	0.16		
			569	0.01		
			568	0.01		
			563	0.12		
			564	0.05		
			562/1	0.09		
			561	0.11		
			योग . .	<u>4.15</u>		

शासकीय भूमि

65	0.04
63	0.05
80	0.07
46	0.22
6	0.03
4/1	0.02
413	0.01
517	0.02
415/4	0.01
392	0.07
योग . .	<u>0.54</u>
सकल योग . .	<u>4.69</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-31 (अ-82) 2018-2019-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

अनुसूची धारा—11

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन	निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा सरवाही रैयत बांयी तट सबमाइनर-05.	228 216/2 217	प्रस्तावित रक्कमा (हेक्टेयर में) 0.03 0.05 0.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी।	का नाम	का वर्णन
				योग . .	<u>0.19</u>	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शासकीय भूमि						
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>0.19</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-32 (अ-82) 2018-2019-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन			निर्माण कार्य एजेंसी			सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	कोहानीम्ब करौंदी रैयत बांयी तट सबमाइनर-01.	498/2 498/3 499	0.02 0.02 0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.
				योग . .	<u>0.06</u>	
शासकीय भूमि						
			0	0.00		
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>0.06</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-33 (अ-82) 2018-2019-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन			निर्माण कार्य एजेंसी			सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरबाही माल बांयी तट सबमाइनर-05.	161 159 153	0.01 0.01 0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			154	0.11		
			526	0.05		
			552	0.05		
			525	0.04		
			553	0.09		
			152	0.03		
			148	0.01		
			149	0.01		
			528	0.02		
			529	0.09		
			530	0.08		
			549	0.01		
			योग . .	<u>0.70</u>		
					शासकीय भूमि	
			144	0.01		
			160	0.01		
			150	0.01		
			योग . .	<u>0.03</u>		
			सकल योग . .	<u>0.73</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-34 (अ-82) 2018-2019-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिप्लौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिप्लौरी	शहपुरा	कोहानीम्ब करौंदी रैयत दांयी तट सबमाइनर-03.	403 404 319 318 415 414 418 419 428 439/1	0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.07 0.05 0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिप्लौरी.	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			439/2	0.02		
			438	0.08		
			461	0.11		
			462	0.01		
			478	0.01		
			477	0.11		
			476	0.05		
			115	0.02		
			116	0.06		
			योग . .	<u>0.89</u>		
			शासकीय भूमि			
			464	0.01		
			324	0.01		
			योग . .	<u>0.02</u>		
			सकल योग . .	<u>0.91</u>		

(2) भूमि का नवशा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिपॉर्टी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-35 (अ-82) 2018-2019-18.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिपॉर्टी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वृत्तस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्कम (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिपॉर्टी	शहपुरा	कोहानीम्य करौंदी	308	0.20	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय
		माल दांयी तट	309	0.07	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य.
		मुख्य माझनर	312/1, 312/5	0.04	डिपॉर्टी.	
			312/2, 312/6	0.04		
			312/3	0.04		
			312/4	0.04		
			306	0.02		
			297	0.01		
			296/1	0.03		
			299	0.03		
			295	0.03		
			277	0.03		
			279	0.06		
			280/1	0.06		
			280/2	0.05		
			281	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			282/1	0.02		
			282/2	0.01		
			283/1	0.05		
			46/1	0.01		
			45	0.05		
			19/1	0.12		
			16	0.09		
			15	0.06		
			14	0.07		
			13	0.08		
			8	0.07		
			योग . .	<u>1.40</u>		
			शासकीय भूमि			
			311	0.02		
			303	0.03		
			1	0.02		
			योग . .	<u>0.07</u>		
			सकल योग . .	<u>1.47</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-36 (अ-82) 2018-2019-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सरवाही माल बांधी	767	0.03	कार्यपालन यंत्री,	सारसडोली जलाशय
		तट सबमाइनर-02.	768	0.06	जल संसाधन संभाग,	परियोजना का नहर कार्य.
			770	0.05	डिण्डौरी.	
			711/1	0.01		
			752	0.02		
			751/891	0.03		
			778	0.04		
			779/1	0.03		
			779/2	0.03		
			776	0.01		
			798	0.07		
			799	0.03		
			800	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			801/4	0.05		
			802	0.04		
			860	0.05		
			859	0.03		
			858	0.07		
			856	0.15		
			855	0.02		
			863/2	0.08		
			849	0.07		
			868/1	0.03		
			868/2	0.02		
			661	0.05		
			663	0.02		
			662	0.06		
			635	0.02		
			655	0.02		
			योग . .	<u>1.22</u>		
					शासकीय भूमि	
			804	0.01		
			758	0.01		
			योग . .	<u>0.02</u>		
			सकल योग . .	<u>1.24</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-37 (अ-82) 2018-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची धारा—11

जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्बा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सारसडोली दांयी तट सबमाइनर नं. 01.	165 164/1 143/1 164/2 143/2 144 145 146 63/1	0.05 0.01 0.04 0.01 0.04 0.02 0.02 0.03 0.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी।	सारसडोली जलाशय परियोजना का नहर कार्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			66/1	0.05		
			65	0.02		
			68/1	0.04		
			68/2	0.04		
			71/1	0.04		
			74	0.03		
			75	0.02		
			76	0.02		
			79	0.02		
			81	0.01		
			35	0.04		
			83	0.01		
			84	0.01		
			36	0.04		
			26/2	0.02		
			योग . .	<u>0.68</u>		

शासकीय भूमि

170	0.01
166	0.01
142	0.04
147	0.04
27	0.01
योग . .	<u>0.11</u>
सकल योग . .	<u>0.79</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

डिण्डौरी, दिनांक 3 जून 2019

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-23-(अ-82) 2018-19-22.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर वि. ख. स्थित में रनगांव जलाशय सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-रनगांव प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (हे. मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रनगांव प.ह.नं.	1	जमुना बाई पति कवल सिंह	287/9	0.20	0.20	रनगांव जलाशय
58 रा. नि. मं.	2	रामप्यारी देवकी पुत्री अमरु	318	312	0.50	के डूब क्षेत्र हेतु
समनापुर.	3	गुलाब सिंह, रामसिंह पिता सोनसिंह, गुलाब बाई, बुद्धिबाई पिता सोनसिंह.	305	0.80	0.41	
	4	मुलिया बाई पति भद्रे सिंह	304	0.81	0.20	
			Total . .	<u>4.930</u>	<u>1.310</u>	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-38-(अ-82) 2018-19-23.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा वि. ख. स्थित में स्थित बिलगाँव मध्यम परियोजना के नहर कार्य में प्रभावित ग्राम-बिजौरी प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. शहपुरा तहसील, शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिजौरी प.ह.नं. 45 रा. नि. मं. शहपुरा.	1	पुरुषोत्तम पिता गरीबा	42/10	0.06	0.02	बेलगाँव जलाशय
			324/7	0.05	0.05	नहर कार्य हेतु।
	2	रामकरन पिता गरीबा	42/8	0.07	0.02	
	3	नरबद पिता गरीबा	324/3/1	0.05	0.02	
			42/9	0.07	0.02	
	4	संतोष पिता लल्ला	448/1	0.27	0.02	
	5	पंचन पिता नन्हुआ	448/2	0.27	0.02	
	6	चूरामन पिता साधूराम	418	0.21	0.03	
	7	सोनकी पति कमला रमेश घनश्याम पिता कमला भागचंद रामगोपाल पिता रिखिया प्रयागवति पति गेंदा सुरेश विद्यासागर पिता गेंदा भागवति पति रामविशाल रानू पिता रामविशाल।	42/1/1	0.27	0.06	
	8	दरबारी पिता गरीबा	323/4	0.05	0.02	
	9	लोकमन पिता हरिया	414/1	0.85	0.03	
	10	नरबद पिता नोहरलाल	289/2	0.07	0.02	
	11	कमलेश पिता होनहर	289/1	0.07	0.02	
			Total . .	2.50	0.49	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी।

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-03-(अ-82) 2018-19-24.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार समनापुर वि. ख. स्थित में रनगांव जलाशय सिंचाई योजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-रनगांव प.ह.नं. 58 रा.नि.मं. समनापुर विकासखण्ड समनापुर व जिला डिण्डौरी

के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रनगांव प.ह.नं. 58 रा. नि. मं. समनापुर.	1 2 3 4 5 6 7 8	राजेश कुमार पिता मोहर सिंह मानसिंह पिता फुन्दीलाल अमरसिंह पिता बुधराम विक्रम सिंह पिता बुधराम माहे बाई पुत्री हजारी पुशिया पुत्री हजारी सुन्दर सिंह पिता हजारी श्यामा बाई पिता हजारी	287/4/2 287/2 282 227/1 227/2 248/2 248/3 248/1/1 248/1/2	0.660 0.750 1.320 0.420 0.420 0.800 0.400 1.030 0.800	0.150 0.440 1.25 0.052 0.052 0.033 0.033 0.016 0.016	रनगांव जलाशय नहर कार्य. Total . . . 6.600 0.917

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-40-(अ-82) 2018-19-25.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी वि. ख. स्थित में बड़झर जलाशय के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम-बिछिया प.ह.नं. 57, रा.नि.म. बिछिया, विकासखण्ड शहपुरा व जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिछिया प.ह.नं. 57 रा. नि. मं. शहपुरा.	1 2 3	मनीष पिता जगदीश अच्छे लाल पिता जगत लाल गणेश, दिलीप पिता फूलचंद, अशोक कुमार पिता रामनाथ.	476/1 479/2 431/1	0.24 0.32 0.92	0.06 0.08 0.08	बड़झर जलाशय नहर हेतु.
Total . . .						1.48 0.22

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

सार्वजनिक सूचना

[अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)]

क्र.-भू-अर्जन-39-(अ-82) 2018-19-26.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार बजाग वि. ख. स्थित में स्थित पिण्डरुखी डायवर्सन योजना के ढूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-बघरली रैयत प.ह.नं. 193 रा.नि.म. बजाग तहसील बजाग व जिला डिण्डौरी के

कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:—

अनुसूची

ग्राम का नाम	स. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बघरैली प.ह.नं. 193 रा. नि. मं. बजाग.	1	मंगल पिता भद्रू सिंह जाति गोड निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	17	0.520	0.100	पिण्डरुखी डायवर्सन योजना डूब क्षेत्र.
			Total . .	0.520	0.100	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियां मान्य नहीं की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरभी गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प. क्र.-2893-जि.भू.अ.-2019

सिवनी, दिनांक 28 मई 2019

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों के इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/प.ह.न./ ब. नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	बरघाट	निवारी ब. नं. 309 प.ह.नं. 65.	3.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	कांचना मंडी जलाशय के अंतर्गत अतिरिक्त डूब क्षेत्र।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं. 1 सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 6 मार्च 2019

पत्र क्र. 304-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोलवार	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 7 जून 2019

पत्र क्र. 463-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
				प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बेरहना	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 465-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) बिरसिंहपुर	(3) गहरी	(4) 3.220	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 467-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) बिरसिंहपुर	(3) सेमरा	(4) 4.800	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 469-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा,

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कोनिया	4.850	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 471-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बम्हनेट	5.600	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 473-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	खड़ौरा				4.500	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 475-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गुढ़वा				7.300	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 477-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मऊ	2.395	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3. देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 479-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	माजन	4.995	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 481-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बड़ेरा खुर्द	6.750	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 483-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माझनरसब माझनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मसपासी जमुनहाई	4.920	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 485-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माझनरसब माझनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	डोमहाई	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 487-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गरलगा	3.550	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 489-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पगार कला	6.300	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 491-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराज नगर	भरजुना कला	1.200	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 493-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	रघुराज नगर	बरा खुर्द	0.950	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 495-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	पोइंधा कला	1.200	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 497-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराज नगर	शाहा	0.950	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 499-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	निमहा	3.440	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 501-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मङ्गगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	कोलवार	6.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मङ्गगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 503-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मङ्गगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	चितगढ़	2.500	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मङ्गगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 505-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि पुरवा नहर की मङ्गगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	पटना कला	3.500	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 507-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	करकोटी	2.320	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 509-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	मोहनिया	5.980	कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 511-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 513-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 515-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा

अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) देवरा	(4) 3.920	(5) कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 517-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनरसब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) सेमरी	(4) 3.480	(5) कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 519-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनरसब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) सतना	(2) कोटर	(3) अकौना	(4) 3.350	(5) कार्यपालन यंत्री, पवका बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 521-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बड़ेरा	4.120	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 523-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	कुम्हरौला	3.650	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 525-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
सतना	बिरसिंहपुर	परसदिया	4.200		

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 527-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
सतना	बिरसिंहपुर	गोरसरी	2.100		

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
	8	0.250
	62/1	1.100
	11	1.200
	30/1	0.320
	31	0.120
	239/21/1	0.025
	22/2	0.722
	29/1	0.480
	13/2	1.000
	29/2	0.600
	33/1	1.012
	33/3	1.000
	34/1/1	0.192
	34/1/2	0.016
	34/1/3	0.809

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर	34/1/4	0.300
(ख) तहसील—श्यामपुर	34/1/6	0.253
(ग) ग्राम—आछारोही	44/1	1.400
(घ) क्षेत्रफल—29.683	44/2	0.999

सर्वे नंबर	योग	
(1)	(2)	
2/2/1	0.658	239/21/2
2/2/2	0.658	3/7
4/6	0.556	5/2
2/3	1.376	13/3
3/1	0.583	236/36/3
3/2	0.580	36/5
3/3	0.166	13/4
3/4	0.460	22/1
3/5	0.170	22/3
3/6	0.135	28/2/2
4/1	0.657	28/2/3
4/2	0.657	28/2/4
4/3	0.658	28/2/5
4/4	0.600	30/2
4/5	0.560	30/3
5/1	0.400	62/3
6	1.800	181/4
7	0.769	181/5
16	0.280	2/2/3
		34/2
		236/36/1
		0.050

महायोग . . 29.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.	100/1	1.120
	13/2, 15	0.400
	19	0.190

प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18.—चौंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:	20	0.522
	21	1.348
	22/1	0.285
	22/2	0.032
	23	0.324
	24	0.750
	26/1	0.134
	27/1	0.485

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	26/2	0.133
(क) जिला—सीहोर	27/2	0.485
(ख) तहसील—श्यामपुर	26/3	0.134
(ग) ग्राम—हिंगोनी	27/3	0.489
(घ) क्षेत्रफल—31.294	28/2/1, 31	0.809
	30/2	0.202
	28/2/2, 31	0.405

सर्वे नंबर	योग	
(1)	(2)	
7/1	0.283	57/1
7/2	0.161	57/7
7/3	1.076	57/6
7/4	0.441	57/8
7/5	0.441	57/2
7/6	0.445	57/3
7/7	0.445	57/4
7/8	0.445	60/5
40/4	0.210	60/8
7/9	0.445	60/3
8	0.263	60/6
9/12/17/1	0.234	60/7
		100/5
11	0.623	100/9
9/12/17/2	1.272	100/13
9/12/17/3	1.219	100/14
10	0.615	57/5
15/1/1, 16/1	0.812	60/1
28/1, 31	2.436	60/2
30/1	0.413	60/14
18	0.384	99/4
		99/5

महायोग . . 31.294

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—छतरपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—4.699

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2/5/3	0.081
56/5	0.202
58/1/1	0.207
58/1/2	0.150
58/2/1	0.110
58/4/2	0.060
58/2/2	0.011
58/4/1	0.015
58/3	0.041
61/6	0.809
61/7	0.324
61/8	0.161
61/11	0.324
61/2	0.291
61/4	0.161
61/5	0.283
2/5/2	0.486
2/19	0.486
2/18	0.060

(1)	(2)
2/21	0.181
2/20	0.161
54/1	0.045
54/2	0.020
2/5/1	0.030

महायोग . . 4.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—भेरुपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—2.915

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
28/2	0.400
28/4	0.200
28/5	0.324
28/7	0.446
28/8	0.081
68	0.251
106	0.129
108/1	0.049
108/2	0.090
112/2	0.041
174/112/2	0.243
14/2	0.101
53, 54	0.030
108/3	0.030
28/3	0.500

महायोग . . 2.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।	(1)	(2)
	72/10	0.275
	6	0.190
	7	0.417
	65/7	0.166

प्र. क्र. 07-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—बिशनखेड़ा
- (घ) क्षेत्रफल—13.846

सर्वे नंबर	योग	
(1)	(2)	
2/1	1.222	
2/2	0.918	
30/1/1	0.400	
2/3/1	0.457	
2/3/2	0.458	
30/3/2	0.493	
2/4	0.458	
30/4/1	0.069	
2/5	0.458	
30/5	0.125	
2/6/1	0.227	
30/6/2	0.105	
2/6/2	0.190	
30/6/1	0.105	
2/7	0.360	
30/7	0.216	
3	0.219	
4	0.049	
5	0.360	
9	0.271	
10, 11	0.695	
15, 16	0.377	
66/10	0.259	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 08-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—चरनाल
- (घ) क्षेत्रफल—0.006

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
7/1	0.006
महायोग	0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.	(1)	(2)
	120/2, 121/2	0.160
	120/1, 121/1	0.121
	121/2/2	0.469
	121/2/1/1	1.590
	121/2/1/2	0.405
	124/2	0.223
	124/1/1	0.784
	124/1/2	0.543
	189/125/2	0.384
	25/2, 26/2	0.071
	27/2	0.016
	215/125/1/1	2.618
	189/3/1, 125	0.256
	25/1/1, 26	0.048
	27/1	0.024
	189/3/2, 125	0.256
	25/1/2, 26	0.048
	189/3/3, 125	0.257
	25/1/3, 26	0.048
	65/1/1	0.150
सर्वे नंबर	योग	
(1)	(2)	
68	0.125	66/1/1, 179/65/1
64	0.202	65/1/2
55	0.009	66/1/2, 179/65
59	0.166	65/1/3/1
46	0.267	65/1/3/2
60	0.045	65/2
61	0.032	163/66
47	0.393	67/2
58	0.040	67/1
62	0.174	162/50/1
41	0.433	162/50/2
42	0.048	162/50/3
28, 43	0.130	162/50/4
57	0.182	125/1
189/1, 125	0.384	125/2
25/3, 26/3	0.060	
27/3	0.016	
178/65	0.243	
70/2	0.089	
70/4	0.089	
70/1	0.089	
70/3	0.089	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		109/35	0.672
(क) जिला—सीहोर		15/3	0.368
(ख) तहसील—श्यामपुर		13/4/1	0.042
(ग) ग्राम—महुआखेड़ा		15/5/1	0.376
(घ) क्षेत्रफल—159.361		76/1	0.444
सर्वे नंबर	योग	13/4/2	0.043
(1)	(2)	15/5/2	0.880
3	0.632	15/1	1.256
4/1	0.405	15/2/1	0.802
4/2	0.489	24/1	0.405
6/1	0.405	25/1	0.198
24/3	0.433	38/5/1	0.437
25/3	0.405	15/2/2	0.801
38/5/3	0.267	24/2	0.259
42, 43	0.259	25/2	0.340
44	0.154	38/5/2	0.441
6/2	1.214	15/2/3	1.602
14/2	0.462	15/2/4	1.602
6/3/1	1.084	19/1	0.364
6/3/2	0.321	64/5	2.023
6/4	0.769	86	0.144
6/5	1.161	19/2	0.182
8/2	0.243	38/7/1	1.315
6/6	0.769	38/7/2	0.708
6/7/1	0.404	63/2/1	0.607
11/1	0.509	19/3	0.186
14/1	0.226	38/4	2.023
72/1	0.370	63/5	0.607
6/7/2	0.405	81/14	0.809
11/2	0.506	22/1	0.287
14/3	0.231	64/7	1.485
7/1	1.598	66/7	0.225
36/1	0.247	22/2	0.287
66/4/1	0.178	81/10	2.023
7/2	1.598	81/2/1	0.391
36/2	0.246	23	0.510
66/4/2	0.178	24/4	0.405

(1)	(2)	(1)	(2)
25/4	0.287	46/3	0.069
38/5/4	0.878	53/3	0.575
28	0.765	47/2	0.225
29	0.214	49/1	0.117
33	0.117	50	0.368
101/33	0.024	49/2	0.117
106/29	0.113	57/1	0.138
30	0.243	81/13	2.630
38/2	0.445	52	2.448
31	0.235	57/2	0.138
35	0.660	81/15	1.011
36/3	1.262	59	0.854
37	0.583	60/1	1.214
66/4/3	0.178	60/2/1	0.210
38/3	1.000	60/2/2	0.773
38/6	4.047	60/2/3	0.773
38/8	0.809	60/2/4	0.635
47/1/2	0.109	102/61/8	0.137
53/2	0.506	60/3	2.136
38/9/2	1.157	61/7, 103/61/7	0.240
38/10/2	2.000	102/61/1	0.137
38/12	1.000	60/4/3	0.283
38/13	1.000	102/61/6	0.085
38/14	1.000	102/61/7	0.053
38/16	0.809	60/5	1.266
53/1	1.084	60/4/1	0.421
40, 41	1.393	61/1, 103/61/1	1.097
46/4	0.129	102/61/11	0.590
74	1.300	61/2, 103/61/2	1.829
71/1	2.246	61/3, 103/61	0.914
45/1	0.154	102/61/3	0.036
69/2	0.825	61/4, 103/61/4	1.825
45/2	0.154	102/61/4	0.077
69/1	0.140	61/5, 103/61/5	0.354
70/2	0.534	102/61/2	0.235
45/3	0.154	104/61	0.185
70/1/1	0.384	61/6, 103/61/6	0.391
46/1	1.672	102/61/9	0.138
47/1/1	0.644	61/8, 103/61	0.914
46/2	0.486	102/61/12	0.041
47/3	0.028	61/9, 103/61	1.619

(1)	(2)	(1)	(2)
61/10, 103/61	0.546	93/2	0.325
102/61/13	0.295	63/2/2	1.315
61/11, 103/61	1.000	63/2/3	1.315
61/12, 103/61	0.315	60/4/2	0.421
63/3	2.719	8/4	2.428
63/4	0.600	8/5	0.178
65/1	0.250	16	0.186
82	0.280	17	0.210
65/5	0.900	34	0.348
66/2	2.023	100/18	0.117
66/6	2.023	107/90	0.551
66/5	1.756	32	0.206
70/1/2	0.405	71/2	0.461
70/1/3	0.149	84	0.278
72/2	0.441	85	0.040
75/2/1	0.246	63/2/4/1	0.101
78/5, 79	0.500	66/3/1	0.470
75/2/2	0.198	63/2/4/2	0.102
77/2	0.680	66/3/2	1.214
77/3	0.137	90	0.551
76/2	0.595	13/3/1	0.028
77/1	0.224	91/2	0.079
78/3, 79/3	0.110	75/1	0.187
80/2	0.572	76/3	0.162
81/11/1	0.526	76/4	0.094
81/12	0.749	13/3/2	0.029
81/16	1.011	13/3/3	0.028
81/19	0.260	15/4	1.256
81/11/2	1.760	64/3/1	2.023
81/3	2.023	81/2/2	0.100
81/5	2.023	64/3/2	1.012
81/9	2.023	81/2/3	0.294
81/18	0.465	81/7/1	0.281
92/3	0.510	64/3/3	1.012
92/1	0.809	81/7/2	0.519
92/2	0.140	64/3/4	1.012
91/1	1.090	64/3/5	1.011
93/1	0.415	18/2	0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
38/10/1	2.047	9/5	0.089
65/2/3	0.369	11/1	0.809
81/8	2.023	11/2	0.290
38/9/1	1.675	12/1, 60/1	0.168
महायोग . . 159.361		12/4, 60/4	0.081
		12/5, 60	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 12-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—बर्णी
- (घ) क्षेत्रफल—9.795

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
3	1.740
6/1	0.243
6/3	0.300
29/1	0.308
6/2	0.060
6/4	0.077
7	0.202
29/2	0.400
30	0.006
9/1	0.251
9/3/2	0.283
9/2	0.200
9/3/1	0.049
9/4	0.129

16/2/1, 19/2/1,	0.060
20/2/1, 52/1/1	
17/1	0.300
17/3	0.370
19/1/1, 20/3	0.283
17/2	0.300
17/4	0.370
21	0.364
296/21	1.076
31	0.725
289/98/1	0.101
289/98/2/2	0.060
महायोग . . 9.795	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 15-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—चांदबड
- (घ) क्षेत्रफल—105.918

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2	0.603
5/1	0.300
16/12/1	0.500
16/12/2	0.161

(1)	(2)	(1)	(2)
15/1	0.800	21/4	2.000
15/4	0.100	21/5	0.930
16/6	1.011	21/2	2.023
16/13/1	0.420	23/3	0.407
16/8	1.161	23/2/2	0.202
16/10	1.161	24	1.781
16/11	1.161	26	1.000
16/5	2.023	34/1	0.563
16/1	2.023	29/1	0.243
18/1	0.772	27/2/1	0.100
18/15	0.566	28/1	0.388
18/2	1.259	31/2	0.769
18/3	1.259	32	0.688
18/4	1.259	33/2	2.000
18/5	1.214	38, 39	2.623
18/6	1.214	52	0.254
18/7	1.254	57/1	0.069
18/8	1.259	136	1.453
18/9	1.214	137	1.457
18/10	1.214	138/1, 139/1	1.510
18/11	1.214	141/1	0.547
18/12	1.214	95	0.046
18/13	0.607	53, 54	0.538
18/14	1.214	5/2	0.020
18/16	0.566	96/1	0.449
18/26	0.772	96/4	0.405
18/17	0.566	152/2	0.785
18/18	0.566	96/2	0.400
18/36	0.772	96/3	0.405
18/19	0.566	97/2	0.278
18/37	0.772	111	0.154
18/20	0.566	112	0.486
18/29	0.772	113	1.400
18/21	0.568	114/2	0.440
18/31	0.772	115/2	0.359
18/22	0.566	114/1	0.377
18/32	0.772	115/1	0.187
18/23	0.566	115/4	0.202
18/30	0.772	115/5	0.202
18/24	2.000	117/1	0.740
18/25	2.000	128/1	0.065
18/33	0.637	129/1/1	0.030
18/34	0.488	128/2	0.530
18/38	0.607	129/2	0.190
21/3	0.775		

(1)	(2)	(1)	(2)
133	0.105	154/3/1	0.128
138/2, 139/2	0.198	179/2	0.240
141/2	0.121	181/2	0.250
144/2	0.595	157/2	0.015
145/2	0.299	167/1, 168, 169, 170	0.010
138/3, 139/3	0.405	176	0.256
3/1/1	0.100	177	0.500
144/3	0.445	180/2/1	0.050
146/2	0.081	27/2/2	0.200
147/2	0.283	31/1	0.222
144/1	0.283	35	1.108
145/1	0.364	57/2	0.103
146/1	0.632	62	0.030
147/1	0.543	11/2	0.034
149/1/1	0.676	119	0.010
152/1	0.302	115/3	0.540
150	1.238	8/1, 16/2, 16/3	0.010
151/2/1	0.201	15/2/2	0.013
154/1	0.025	130/1	0.050
154/3/2	0.168	130/2	0.050
154/2	0.025	15/5	0.026
163/1	0.180	23/5	1.012
163/2/क/1	0.325	23/6	1.011
163/2/क/2	0.250	134	0.224
178/2	0.467	135	1.022
178/1/1	0.805	149/2	0.886
179/1	0.110	151/2/2	0.405
180/1	0.480	129/1/2	0.026
215/151/2	0.714	8/2, 16/2, 16/3	0.010
218/32/1	0.364	15/2/3	0.013
218/32/2	1.011	15/2/1	0.014
218/32/3	1.234	16/13/2	0.421
3/1/2	0.260	16/13/3	0.170
11/1	0.034	213/56	0.138
16/7	4.047	178/1/2	0.805
16/9	0.966	महायोग . . . 105.918	
102	0.020		
106	0.205		
143/1	0.801		
142/1	0.744		
143/2	1.303		
189/5	0.150		
214/41	0.024		
215/151/1	0.040		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 16-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		57/18	0.200
(क)	जिला—सीहोर	88/1/1	0.062
(ख)	तहसील—श्यामपुर	88/1/2	0.304
(ग)	ग्राम—मगरदीखुद	88/1/3	0.276
(घ)	क्षेत्रफल—14.719	88/1/4	0.120
		88/2	0.405
		88/4	0.013
		88/7/1	0.506
		88/7/2	0.505
		88/8/1	0.506
		88/8/2	0.505
		88/9	2.023
		88/10	0.404
सर्वे नंबर	योग	39/1	0.130
(1)	(2)	64/2	0.077
29/1	0.266	64/1	0.077
29/2	0.081	67	0.010
29/3	0.070	58	0.027
29/4	0.040	53	0.020
29/5	0.030	127/29/1	0.572
29/6	0.025	49, 50	0.110
29/7	0.026	51/2	0.040
30/1	1.806	65	0.100
30/2	0.096	66	0.210
32/1	1.311	88/3	0.355
32/2/1	0.116	123/64	0.016
32/2/2	0.358	121/58	0.025
39/2	0.090	57/3/2	0.163
45	0.311	127/29/2	0.502
46	0.154		
47	0.231	महायोग . .	14.719
32/3	0.115	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन। भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।	
32/4	0.260		
42/2	0.010		
44	0.405		
57/3/1	0.163		
57/11	0.100		
57/16	0.192		
57/17	0.200		

प्र. क्र. 17-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	(2)
(क) जिला—सीहोर	90/1/1/1 0.030
(ख) तहसील—श्यामपुर	91/4 0.045
(ग) ग्राम—रावतखेड़ा	90/1/1/2 0.113
(घ) क्षेत्रफल—79.466	70/1/2, 71/1 0.129
सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
4/5	1.000
4/6	0.770
4/7	0.770
4/9/1	0.700
4/9/2	0.300
41/2	0.109
57/2	0.290
206/106	0.506
152/1	0.190
29	0.307
74/2	1.319
78/1	0.133
79/3	0.170
80/1	0.192
79/4	0.339
78/2	0.113
80/3	0.300
135/3	0.040
78/3	0.129
79/1	0.120
80/4	0.224
122/1	0.247
36/1	0.012
37/1	0.057
102/1	0.340
104/1	0.315
133/2	0.100
106/1	0.465
123/1	0.303
88/2	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
91/3	0.049	78/4	0.339
93/3	0.024	80/5	0.255
114/4	0.049	91/5	0.202
38/2	0.097	91/6	0.004
113/1	0.174	91/7	0.078
114/1	0.101	70/1/1, 71/1	0.129
39/1	0.178	93/2	0.181
39/2	0.178	92/2/1	0.279
41/3	0.105	94/10, 143	0.300
182/4	0.040	94/11, 143	0.360
42/1, 43	0.090	113/3	0.089
52	0.834	114/3	0.049
42/2, 43	0.502	152/2	0.030
56	0.980	91/1	0.356
50/2	0.800	113/4	0.089
51/2	0.320	103	0.190
47	0.192	105/1	0.202
57/1	0.471	105/2	0.304
62/1	0.415	107/1	1.708
62/2	0.375	107/2	1.618
62/3	0.400	205/134/1	0.283
62/4	0.185	116/3	0.405
62/5	0.200	205/134/2	0.287
62/7	0.146	108	1.003
53/3/1, 54, 55	1.481	112/1	0.255
64	2.039	115	0.320
65	0.733	116/1	1.287
69/2	0.169	117	0.482
70/1, 71/1	0.388	118	1.315
144	0.639	119	0.214
195/59	0.339	110	0.053
66	1.327	111	0.097
67/1, 68/1, 89/1	1.350	128/2	0.607
90/1/3	0.141	135/6	0.400
67/2, 68/2, 89/2	1.354	116/2	0.405
69/1	0.404	120/2	0.583
70/2	0.283	121/2	0.534
71/2	0.101	120/1	0.202
76/2	1.162	121/1	0.534
76/3	2.000	124/2	0.198
76/4	2.000	128/1	0.275

(1)	(2)	(1)	(2)
131/1	0.283	106/2	0.469
129	0.947	90/1/2	0.101
124/1	2.023	62/6	0.210
128/3	0.405	158	0.223
125	0.413	166/1	0.080
126	0.910	166/2	0.100
127	0.717	176/1/2	0.052
130	0.348	187/1/1	0.040
131/2	0.405	187/1/2	0.060
134/1	0.660	महायोग . .	<u>79.466</u>
135/2	0.040		
113/2	0.174		
114/2	0.094		
79/5	0.202		
135/4	0.052		
135/5	0.052		
135/1/2	0.175		
147/3	0.150		
149	0.158		
152/3	0.032		
155	0.058		
152/4	0.202		
162/2	0.225		
162/1	0.425		
181/1	0.040		
181/2	0.040		
182/2	0.040		
181/3	0.030		
201/147	1.967		
53/1, 54, 55	1.011		
53/1/2, 54, 55	1.057		
70/1/3, 71/1	0.130	सर्वे नंबर	योग
207/56/1	0.470	(1)	(2)
51/1/1	0.447	2/1	0.010
50/1/2	0.510	58/1	0.040
51/1/2	0.188	58/2	0.040
49	0.154	59/1/2	0.040
85/1	0.050	59/2/1	0.100
85/2	0.050	59/2/2	0.100
92/2/2	0.048	महायोग . .	<u>0.330</u>
135/1/1	0.470		
36/2	0.016		
37/2	0.056		
104/2/1	0.268		
123/2	0.299		
104/2/2	0.047		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—मगरदी कलां
- (घ) क्षेत्रफल—0.330

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2/1	0.010
58/1	0.040
58/2	0.040
59/1/2	0.040
59/2/1	0.100
59/2/2	0.100
महायोग . .	<u>0.330</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन. भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 12 जून 2019

(1) (2)

प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर	52/1	0.202
(ख) तहसील—श्यामपुर	182/98/1	0.200
(ग) ग्राम—मरहेटी	106	0.370
(घ) क्षेत्रफल—73.664	135	0.400

सर्वे नंबर	योग	117/1	0.506
------------	-----	-------	-------

(1)	(2)	117/2	0.506
-----	-----	-------	-------

181/27/4	0.105	118	1.000
----------	-------	-----	-------

3/3/1	0.030	115/3/4, 185/1, 15/9,	0.101
-------	-------	-----------------------	-------

181/24/1	0.834	185/1, 15/10	
----------	-------	--------------	--

181/12/2	0.082	115/2/4	0.800
----------	-------	---------	-------

51	0.580	115/2/5	0.636
----	-------	---------	-------

181/29	1.267	115/2/3	0.063
--------	-------	---------	-------

4	0.656	115/3/3, 185/1, 15/9,	0.506
---	-------	-----------------------	-------

181/30/1	0.421	185/1, 15/10	
----------	-------	--------------	--

18/2	0.130	115/3/5, 185/1, 15/9,	0.253
------	-------	-----------------------	-------

181/22/2	0.283	185/1, 15/10	
----------	-------	--------------	--

8/4	0.080	115/3/6, 185/1, 15/9,	0.304
-----	-------	-----------------------	-------

181/30/3	0.425	185/1, 15/10	
----------	-------	--------------	--

41/2	0.030	115/2/1	0.624
------	-------	---------	-------

49/2	0.299	115/2/6	0.367
------	-------	---------	-------

181/30/2	0.421	120/4, 121/4	0.063
----------	-------	--------------	-------

8/5	0.192	122/2	0.202
-----	-------	-------	-------

8/2	0.030	183/120/1	0.405
-----	-------	-----------	-------

8/3	0.057	122/1	0.100
-----	-------	-------	-------

8/1	0.500	124/2, 125, 126	0.759
-----	-------	-----------------	-------

17/3	0.120	124/7, 125/126	0.506
------	-------	----------------	-------

16/2, 17	0.300	128/1	0.250
----------	-------	-------	-------

18/1	0.016	128/6	0.526
------	-------	-------	-------

181/12/1	0.082	128/9	0.498
----------	-------	-------	-------

181/33	0.635	128/8	1.011
--------	-------	-------	-------

181/32	0.631	128/10	0.514
--------	-------	--------	-------

98/1/2/ख	0.605		
----------	-------	--	--

(1)	(2)	(1)	(2)
182/98/2	0.759	181/31/2	0.546
128/14	0.809	181/2/2	0.809
128/15	0.405	181/19/2	0.607
128/16/2	0.405	181/26	1.267
132/2	0.159	181/28	0.315
134	0.150	181/17	0.486
140/1/ख	0.038	181/34	1.267
131/1	0.253	181/21	0.409
129/3	0.809	181/1	0.878
129/3/2	0.809	181/14	0.490
129/1	4.124	181/15	0.490
136/1	0.086	181/16	0.490
140/1/क	0.038	181/18	0.490
140/1/1/ख	0.031	181/19/1	0.388
183/120/2	0.600	181/23	1.267
183/120/3	0.506	181/13	0.490
183/4, 120	0.100	181/38	0.317
182/9, 8/3	3.750	181/35	0.321
181/3	1.757	181/36	0.317
101/1	2.225	181/20/2	0.635
101/2/2	0.210	181/20/1	0.630
181/9	0.121	185/115/1	0.202
181/27/3	0.214	185/115/2	0.251
181/41	0.243	185/115/3	0.506
181/19/3	0.272	17/1, 16/1	0.126
181/37	0.317	128/16/1	0.561
181/22/1	0.574	131/5	0.712
181/27/2	0.316	132/1	0.025
181/4	0.486	101/3	2.225
181/5	0.486	129/4	1.214
181/27/1	0.316	129/2	1.214
5/1	0.020	3/3/2	0.200
181/6	0.490	52/5	0.160
181/7	0.121	24	0.030
181/8	0.241	185/115/8	1.113
181/10/1	0.081	128/2	0.200
181/10/2	0.161	128/4	0.379
181/10/3	0.081	128/5	0.789
181/10/5	0.080	128/7	0.050
181/25	1.267	127/1	0.312
181/31/3	0.506	127/2, 125, 126	0.734
181/31/4	0.107	52/2/3	0.035
181/31/1	0.107	52/2/4	0.035

(1)	(2)	(1)	(2)
52/4	0.161	2/7	2.023
49/1	0.264	2/8	2.023
181/2/1	0.069	2/9	1.348
181/10/4	0.081	2/10	1.348
181/11/1	0.243	2/11	1.011
181/11/2	0.243	2/12	0.393
181/12/3	0.083	2/13	0.393
181/24/2	0.433	2/14	2.024
181/40	0.486	2/15	1.011
136/2	0.020	4/1	2.158
महायोग . . .		73.664	0.182
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.			
प्र. क्र. 13-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सीहोर			
(ख) तहसील—श्यामपुर			
(ग) ग्राम—मानपुरा			
(घ) क्षेत्रफल—229.211			
सर्वे नंबर			
(1)	(2)	योग	
2/1	0.389	8/1/ख, 8/275/232/2/1ख	1.417
2/2	2.023	8/3, 275/232	1.841
2/3	1.352	8/1/क, 275/232/2	2.015
2/4	2.023	9/1/2	0.441
2/5	2.023	22/2	0.502
9/2	1.316	9/1	1.315
2/6/1	2.023	272/20/1	0.128
67/6/1	0.202	10/1	0.708
2/6/2	2.023	10/2	0.708
67/6/2	0.202	11	2.638
		20	0.369

(1)	(2)	(1)	(2)
116	0.077	26/1	0.660
13/1	1.331	23/8	0.506
15/1	0.607	23/17	0.579
13/2	1.331	117/4	0.150
15/2	0.607	23/9	1.214
30/1	0.980	23/20	0.028
46/3	0.300	23/10	0.028
135/3	0.138	23/1/1	0.809
136/3	0.251	23/1/2	0.809
14/2	0.721	23/1/3	0.809
128	0.235	23/1/4	0.809
14/1	0.587	23/1/5	0.333
42/4, 43, 51/4	0.250	23/2	2.023
136/4	0.393	48/2	0.040
46/5	0.057	23/23	0.405
17	0.835	23/25	0.405
21/1	0.881	24/3, 24/4	0.242
23/5	0.506	25/3, 25/4	0.324
23/14	0.575	26/3, 26/4	0.242
117/1	0.154	27/08	0.676
118/1	0.121	24/2	0.405
21/2	0.214	24/1	0.467
23/6	0.506	25/1	0.081
23/15	0.575	25/2	1.052
117/2	0.150	26/2	0.563
118/2	0.117	27/9	0.676
21/3	0.877	27/11	0.202
117/3	0.150	42/2, 43, 51	0.250
23/7	0.506	27/5	2.023
23/16	0.579	27/07/5	0.505
21/4	0.877	27/07/3	0.506
21/2/2, 22/1, 23, 24	0.667	151/2	0.150
48/3	0.490	27/07/4	0.509
48/4/2	0.102	27/10	2.225
22/1	0.186	27/4	0.672
85/2	0.126	27/7/2	1.011
23/3/4	0.178	27/7/1	1.012
23/3/3	0.506	27/03	0.809
23/3/1	0.530	27/06	2.023
23/3/2	0.906	28/01	1.119
23/4/1, 27/2	0.405	28/5	0.809
23/11	0.647	28/2	0.110
23/12	0.405	48/5	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
28/3	0.090	140/3	0.194
28/6/2	0.620	141/3	0.182
29/1	0.756	198/9/3	0.200
29/2/1	0.380	67/3	1.214
29/2/2	0.380	67/4	1.183
30/2	1.113	67/5	0.760
46/1	0.040	144	0.753
45/3	0.040	242/141	0.057
48/4	0.101	67/1	0.849
35/1	0.640	238/63	1.894
36/4	1.000	237/67	1.910
36/6	1.000	67/2	0.809
36/7	1.000	67/12	0.320
36/8	1.000	273/63/6/1	0.943
38/2	2.225	273/63/7/1	0.538
38/1	2.225	67/13	0.128
149/3	0.345	273/63/7/2	2.295
149/2	0.689	273/63/6/2	2.295
102/2	0.178	85/1/2	0.281
133	0.101	86/1/2	0.230
134	0.364	102/1/2	0.069
46/2	0.211	135/2	0.243
45/2	0.050	136/2	0.065
45/1	0.060	136/5	0.081
137/3	1.817	102/1/1	0.069
137/4	0.905	103/2	0.182
138/1	0.259	103/1	0.182
138/3	0.259	198/8	1.000
145/3	0.170	103/3	0.182
58/1/2, 59/1, 59/2/2/2	0.200	139/1	0.218
58/1/1, 59/1/2, 59/2/2	0.303	140/1, 142	0.194
60/2	0.345	141/1	0.056
60/3	0.220	143	0.129
60/1	0.360	198/9/1	0.200
62/2	2.766	139/2	0.222
61	0.774	140/2, 142	0.195
62/1	1.825	198/9/2	0.200
63	0.190	223/5	0.972
66	6.984	137/1	0.510
277/238/63 बा	1.263	223/6	0.592
139/3	0.222	223/3	0.972
		129/1	0.222
		130/1	0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
132/1	0.109	273/63/5/3	1.618
129/2	0.098	273/63/4	1.214
130/2	0.093	273/63/9	0.405
137/2	1.637	273/63/2	1.619
138/2	0.259	273/63/3/1	1.157
145/1	0.170	273/63/5/1	0.526
145/2	0.170	273/63/8	2.023
243/145/2	0.068	273/63/10	2.832
147/6	0.336	273/63/12	2.834
148	0.239	273/63/3/2	2.866
150	0.114	273/63/5/2/0003	0.333
147/3	0.294	273/63/5/2/0001	1.214
147/2	0.294	273/63/5/2/0002	1.214
147/4	0.500	67/7/1	0.380
147/5	0.210	48/1/1	0.026
147/1	0.592	48/1/2	0.026
151/1	0.150	198/5	0.607
198/1/1	1.795	23/13	0.405
198/6/3	0.500	23/24	0.405
198/6/2	0.500	23/18	0.028
198/3	0.500	23/19	0.020
198/6/1	0.500	223/4	0.480
198/10/1	0.120	23/21	0.028
198/10/2	0.100	23/22	0.028
198/2	3.399	23/26	0.405
198/7/2	0.126	23/27	0.405
198/11/2	0.500	38	4.695
198/7/1	0.120	141/2	0.182
198/11/1	0.500	149/1	0.344
223/1	0.350	120/1	0.075
223/2	0.280	274/69/2	0.126
36/2	0.350	69	0.100
233/36/2	1.027	198/4	0.607
36/3	0.463	241/117	0.016
233/36/3	0.089	23/4/2, 27/2	0.121
264/198/1	1.144	243/145/1	0.069
272/20/2	0.784	243/145/3	0.073
272/20/3	0.957	273/64/5	4.703
273/63/13	0.405	23/4/3, 27/2	0.405
273/63/1	1.417	156/1	0.125
273/63/11	1.417	127	0.256

(1)	(2)	(1)	(2)
153/1/2	0.076	31/2	0.390
153/1/3	0.044	32/1, 33, 34/1	0.300
153/2	0.263	48/4/1	0.101
157/4	0.160	32/2, 33, 34	0.300
154/1	0.160	32/3, 33, 34	0.040
221/1/2/2	0.230	32/4, 33, 34/4	0.010
154/2	0.675	32/5, 33, 34	0.070
157/1	0.105	15/3	0.050
35/2	0.387	18/3, 19/3	0.100
35/3	0.035	100/2	0.113
41/1	0.600	153/1/1	0.070
41/4	0.756	198/12	0.480
274/69/1	0.250	198/13	0.560
120/2	0.140	157/3	0.305
58/2/2, 59/1/1, 59/2/2, 234/39/1	0.380	86/1/1	0.260
67/7/2/1	0.150	100/1	0.110
68	0.600	221/1/4, 222	0.534
67/7/2/1	0.125	221/222/1/3	0.514
67/8	0.506	221/3/1, 222	0.240
67/6/1	0.202	221/3/2, 222	0.035
67/6/2	0.202	महायोग . . 229.211	
132/3	0.291		
221/1/2/1, 222	0.141		
221/1/2/3, 222	0.550		
67/14	1.670		
274/69/3	0.126		
120/3	0.075		
114/1	0.117		
114/2	0.121		
114/3	0.121		
115	0.368		
119/1	0.050		
121/1	0.214		
121/2	0.214		
31/1	0.420		
125/1	0.032		
125/2	0.032		
125/3	0.032		
221/2, 222/2	0.454		
221/4, 222	0.272		
221/5, 222	0.100		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुबिभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—बमूलिया दोराह
- (घ) क्षेत्रफल—30.395

सर्वे नंबर	योग
(1)	(2)
2/1	0.242
2/2	0.242

(1)	(2)	(1)	(2)
3	0.480	70/1/2	1.000
4/2	1.539	70/5	0.405
8/1	1.254	16	0.303
6/7	1.262	40/1/1	0.041
61/1	0.105	6/2/1, 656/6/2,	
6/1	0.607	657/6/1/1	0.663
6/2/3, 656/6/2, 657/6/1/1/3	0.048	6/2/4, 656/6/2, 657/6/1/4	0.405
6/3/1, 656/6/2, 657/6/1/2/1	0.809	6/6	0.967
9	0.026	6/2/2, 656/6/2, 657/6/1/2	0.825
13/1	0.121	6/3/2, 656/6/2, 657/6/1/2	0.603
13/2	0.202	6/4	1.015
13/3	0.161	6/3/3/1, 656/6/2, 657/6/1/2/3	0.203
14/1	0.364	6/3/3/2, 656/6/2, 657/6/1/2/3	0.404
14/2	0.243	6/5	1.214
15/1	0.202	61/2	0.105
15/3	0.121	महायोग . . .	30.395
15/4	0.041		
18/1	0.250		
20/1	0.688		
20/2	0.161		
24/2	0.130		
24/4	0.283		
24/5	0.049		
4/1	0.688		
4/3	0.809		
26/6	1.052		
26/5	0.566		
26/2	0.502		
67/3	2.000		
53/1	0.890		
55	0.024		
54	0.041		
57/3	0.010		
57/2	0.121		
60/2	1.133		
62/1	1.295		
67/1	2.000		
70/1/4	0.708	सर्वे नंबर	योग
70/1/1	0.243	(1)	(2)
70/1/3	0.486	181/27/4	0.105
689/70/2	0.044	3/3/1	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 14-अ-82-2017-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—श्यामपुर
- (ग) ग्राम—मरहेटी
- (घ) क्षेत्रफल—73.664

(1)	(2)	(1)	(2)
181/24/1	0.834	115/2/4	0.800
181/12/2	0.082	115/2/5	0.636
51	0.580	115/2/3	0.063
181/29	1.267	115/3/3, 185/1, 15/9, 185/1, 15/10	0.506
4	0.656	115/3/5, 185/1, 15/9, 185/1, 15/10	0.253
181/30/1	0.421	115/3/6, 185/1, 15/9, 185/1, 15/10	0.304
18/2	0.130	115/2/1	0.624
181/22/2	0.283	115/2/6	0.367
8/4	0.080	120/4, 121/4	0.063
181/30/3	0.425	122/2	0.202
41/2	0.030	183/120/1	0.405
49/2	0.299	122/1	0.100
181/30/2	0.421	124/2, 125, 126	0.759
8/5	0.192	124/7, 125, 126	0.506
8/2	0.030	128/1	0.250
8/3	0.057	128/6	0.526
8/1	0.500	128/9	0.498
17/3	0.120	128/8	1.011
16/2, 17	0.300	128/10	0.514
18/1	0.016	98/1/2/ख	0.605
181/12/1	0.082	182/98/2	0.759
181/33	0.635	128/14	0.809
181/32	0.631	128/15	0.405
52/3	0.240	128/16/2	0.159
46/2/2	0.480	132/2	0.150
47	0.336	134	0.038
46/2/1	0.248	140/1/ख	0.253
52/2/2	0.035	131/1	0.035
41/1	0.100	129/3	0.809
42	0.160	129/3/2	0.809
46/1/2	0.120	129/1	4.124
52/2/1	0.035	136/1	0.086
50	0.572	140/1/क	0.038
52/1	0.202	140/1/1/ख	0.031
182/98/1	0.200	183/120/2	0.600
106	0.370	183/120/3	0.506
135	0.400	183/4, 120	0.100
112/1	0.160	182/9, 8/3	3.750
117/1	0.506	181/3	1.757
117/2	0.506	101/1	2.225
118	1.000		
115/3/4, 185/1, 15/9, 185/1, 15/10	0.101		

(1)	(2)	(1)	(2)
101/2/2	0.210	181/20/1	0.630
181/9	0.121	185/115/1	0.202
181/27/3	0.214	185/115/2	0.251
181/41	0.243	185/115/3	0.506
181/19/3	0.272	17/1, 16/1	0.126
181/37	0.317	128/16/1	0.561
181/22/1	0.574	131/5	0.712
181/22/2	0.316	132/1	0.025
181/4	0.486	101/3	2.225
181/5	0.486	129/4	1.214
181/27/1	0.316	129/2	1.214
5/1	0.020	3/3/2	0.200
181/6	0.490	52/5	0.160
181/7	0.121	24	0.030
181/8	0.241	185/115/8	1.113
181/10/1	0.081	128/2	0.200
181/10/2	0.161	128/4	0.379
181/10/3	0.081	128/5	0.789
181/10/5	0.080	128/7	0.050
181/25	1.267	127/1	0.312
181/31/3	0.506	127/2, 125, 126	0.734
181/31/4	0.107	52/2/3	0.035
181/31/1	0.107	52/2/4	0.035
181/31/2	0.546	52/4	0.161
181/2/2	0.809	49/1	0.264
181/19/2	0.607	181/2/1	0.069
181/26	1.267	181/10/4	0.081
181/28	0.315	181/11/1	0.243
181/17	0.486	181/11/2	0.243
181/34	1.267	181/12/3	0.083
181/21	0.409	181/24/2	0.433
181/1	0.878	181/40	0.486
181/14	0.490	136/2	0.020
181/15	0.490	महायोग . .	<u>73.664</u>
181/16	0.490		
181/18	0.490		
191/19/1	0.388	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—पार्वती परियोजना बांध निर्माण हेतु—भू-अर्जन, भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
181/23	1.267		
181/13	0.490		
181/38	0.317		
181/35	0.321	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
181/36	0.317	अजय गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
181/20/2	0.635		

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्र. B-2703-चार-9-4-39 भाग-तीन-डी-पेंशन.—मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिकारिष्ठी की आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्ति किया जाता है:—

प्रथम श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री उमाशंकर दुबे	रजिस्ट्रार सह माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय म. प्र., जबलपुर.	01-08-1958	31-07-2020	31-07-2020

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक	सेवानिवृत्ति का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती पद्मिनी स्वामी	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय म. प्र. खण्डपीठ, इन्दौर.	24-05-1958	23-05-2020	31-05-2020
2	श्री एस.बी.एस. बघेल	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	16-06-1958	15-06-2020	30-06-2020
3	श्री राधेश व्याहार	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ, ग्वालियर.	26-06-1958	25-06-2020	30-06-2020
4	कु. प्रभा यादव	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ, ग्वालियर.	24-08-1958	23-08-2020	31-08-2020
5	श्री अवध नारायण गुप्ता	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., खण्डपीठ-इन्दौर.	02-10-1958	01-10-2020	31-10-2020
6	श्री एस. के. दुबे	अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	26-10-1958	25-10-2020	31-10-2020

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 22 मई 2019

क्र. D-3552-दो-2-64-2016.—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 08 अप्रैल से 13 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छत्तीस दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 23 मई 2019

क्र. D-3571-दो-2-122-2017.—सुश्री स्वाति बजाज, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01 से 04 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति बजाज, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री स्वाति बजाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2019

क्र. B-2723-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 05 से 11 मई 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2737-दो-2-2-2010.—श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 06 से 10 मई 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती भागवती चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भागवती चौधरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 31 मई 2019

क्र. B-2745-दो-2-15-2019.—श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 08 से 11 मई 2019 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 मई 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2747-दो-2-21-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 13 से 15 मई 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3715-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 03 से 10 मई 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-3717-दो-2-86-2018.—श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 03 से 14 जून 2019 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 21 जून 2019 तक सात दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. सिन्हा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3719-दो-2-69-2017.—श्री राजीव कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3721-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक

28 मई से 02 जून 2019 तक जून छह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 03 से 14 जून 2019 तक बारह दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3723-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 01 से 02 अप्रैल 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3725-दो-2-26-2010.—श्री पी. के. अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 23 से 25 मई 2019 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.